योगी आदित्यनाथ
माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश

State Council for Vocational Training, UP

(व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उ0प्र0 सरकार)

श्री कपिल देव अग्रवाल
माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास
विभाग, उ0प्र0

कौशलं बलम्

Industrial Training Institute

राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2022-23 हेतु प्रवेश से सम्बन्धित विवरण - पुस्तिका (नि:शुल्क)

सूचना एवं संपर्क सूत्र

0522-4150500 7897992063 0522-4047658 9628372929

वेबसाइट: www.scvtup.in; ई-मेल: help@admissionscvtup.in

@scvtup @scvtup @scvtup State Council for Vocational Training

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में एन0सी0वी0टी0
की ऑन–लाइन परीक्षा (सी0बी0टी0) में प्रतिभाग करते प्रशिक्षार्थी।

रेफ्रीजरेशन और एयर कंडीशनिंग कार्यशाला में इलेक्ट्रॉनिक
कार्यों पर प्रशिक्षण प्राप्त करते प्रशिक्षार्थी।

राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश

State Council for Vocational Training, UP

(व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उ0प्र0 सरकार)

राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2022-23 हेतु प्रवेश से सम्बन्धित विवरण - पुस्तिका (नि:शुल्क)

विभागीय संरचना

उत्तर प्रदेश सरकार/शासन के महत्वपूर्ण विभाग ''व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास'' के अधीन कार्यरत विभिन्न निदेशालय, परिषद एवं केन्द्र, प्रदेश में तकनीकी प्रशिक्षण/रोजगार को कार्य के प्रकार एवं दायित्वों के दृष्टिगत दो भागों में विभक्त किया गया है। विभाग की प्रशासनिक संरचना निम्नानुसार हैः–

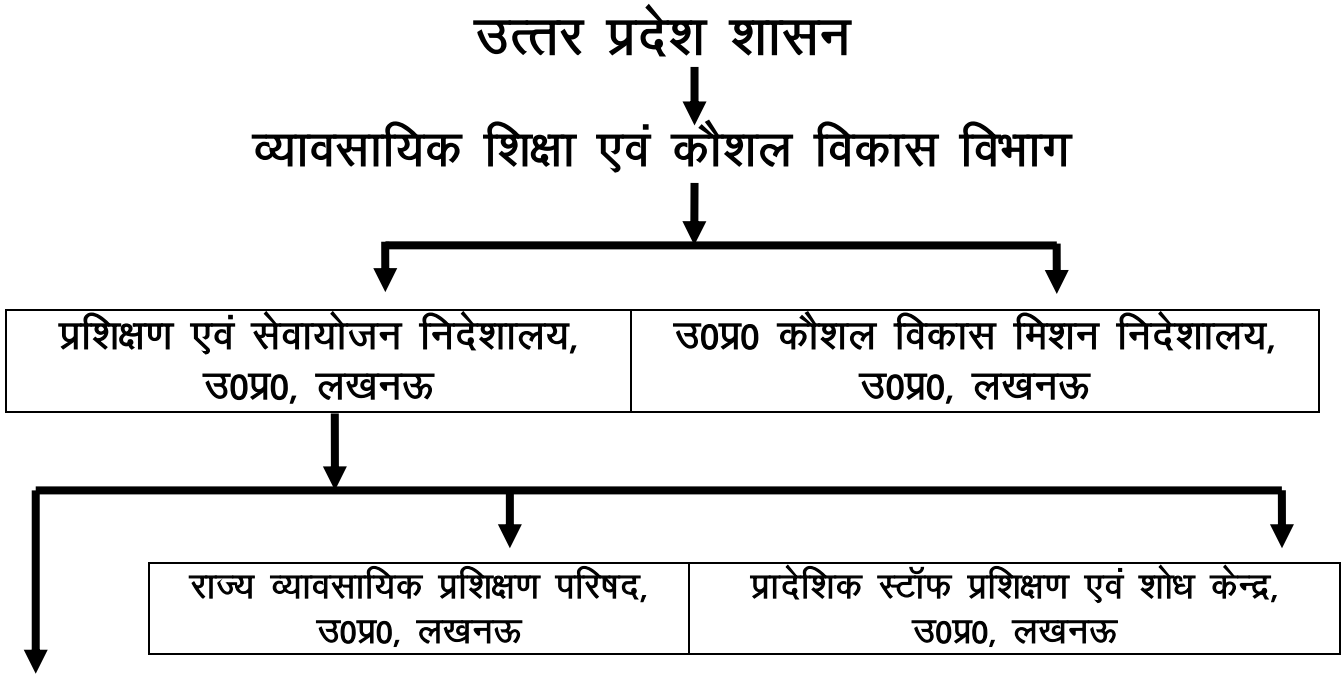

क्रमांक	संयुक्त निदेशक (प्रशि0/शिशिक्षु0) मण्डल	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान			निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
		प्रशिक्षण सीटें			प्रशिक्षण सीटें
		एन0सी0वी0टी0	एस0सी0वी0टी0	कुल प्रशिक्षण सीटें	
1	लखनऊ	11864	1332	13196	13988
2	अयोध्या	7376	308	7684	25720
3	देवीपाटन	4476	820	5296	1584
4	कानपुर	10188	1428	11616	14568
5	प्रयागराज	5104	944	6048	29932
6	झाँसी	5176	408	5584	10540
7	चित्रकूट–धाम	5508	536	6044	2800
8	वाराणसी	3416	960	4376	61132
9	आजमगढ़	3640	868	4508	33140
10	गोरखपुर	6996	1860	8856	29516
11	बस्ती	3552	736	4288	6336
12	विन्ध्याचल	2620	552	3172	21284
13	आगरा	6176	–	6176	46828
14	अलीगढ़	2976	884	3860	22144
15	बरेली	6728	336	7064	5444
16	मुरादाबाद	7076	816	7892	9340
17	मेरठ	8587	1100	9687	32012
18	सहारनपुर	3304	1624	4928	32568
	योग	**104763**	**15512**	**120275**	**398876**

कपिल देव अग्रवाल
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास
विभाग,उ0प्र0,शासन,
कार्यालय कक्ष सं : 58, 58ए, प्रथम तल,
मुख्य भवन, उ0प्र0 सचिवालय,
लखनऊ–226001
दूरभाष (का.) : 0522–2238066,
0522–2213268

शुभकामना–संदेश

भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी युवाओं के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत एवं कृत संकल्पित है। युवाओं के कौशल में वृद्धि उनके एजेण्डे में सर्वोच्च है। हमारा देश, युवाओं की आबादी वाला देश है। युवाओं की उर्जा का सही दिशा में उपयोग किये जाने हेतु भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

प्रदेश के राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के उपरोक्त संकल्प को पूरा करने की दिशा में कौशल विकास हेतु संचालित योजनाओं के अन्तर्गत युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन संस्थानों की गुणवत्ता में वर्तमान लोकप्रिय सरकार के समय में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है तथा इनसे प्रशिक्षण प्राप्त कर युवा प्रदेश व देश के विकास में सार्थक योगदान दे रहे हैं एवं विकास में त्वरित गति ला रहे हैं।

प्रवेश सत्र–2022 के लिए प्रकाशित की जा रही विवरण पुस्तिका के सफल प्रकाशन हेतु मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। छात्र–छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

(कपिल देव अग्रवाल)

संयुक्त निदेशक का सम्पर्क विवरण

क्र0	मण्डल	संयुक्त निदेशक	मोबाइल नम्बर
1	कानपुर मण्डल	श्री राहुल देव, संयुक्त निदेशक	9628374317, 9453055600
2	प्रयागराज मण्डल	श्री मुकेश यादव, संयुक्त निदेशक	9628374361
3	झांसी मण्डल	श्री अरविन्द कुमार, संयुक्त निदेशक	9838552851,7233803715
4	चित्रकूटधाम मण्डल	श्री एम.के.कुलश्रेष्ठ, संयुक्त निदेशक	8840362658
5	आगरा मण्डल	श्री योगेंद्र सिंह, संयुक्त निदेशक	9457823887,7017056131
6	बरेली मण्डल	श्री ए0 के0 राणा, संयुक्त निदेशक	8840829933, 8765453290
7	मुरादाबाद मण्डल	श्री एम0 आर0 उस्मानी, संयुक्त निदेशक	9415369348, 9557433336
8	अलीगढ़ मण्डल	श्री वी0 के0 विश्वकर्मा, संयुक्त निदेशक	7233803711, 9415463200
9	लखनऊ मण्डल	श्री भगवत दयाल, संयुक्त निदेशक	9670608888, 9792987777
10	देवीपाटन मण्डल	श्री डी0 के0 सिंह, संयुक्त निदेशक	7233803713, 8076648244
11	अयोध्या मण्डल	श्री आर0 के0 मिश्रा, संयुक्त निदेशक	8765951780
12	वाराणसी मण्डल		9415364452, 9792987777
13	गोरखपुर मण्डल	श्री राजेश राम, संयुक्त निदेशक	9456473592, 7233803702
14	आजमगढ़ मण्डल	श्री एस0 एन0 राम, संयुक्त निदेशक	9415884580,8887843038
15	मिर्जापुर मण्डल	श्री मुन्ना लाल गुप्ता, संयुक्त निदेशक	9415256870
16	बस्ती मण्डल	श्री पुरूषोत्तम मिश्रा, संयुक्त निदेशक	9415245319, 7233803707
17	मेरठ मण्डल	श्री सुशील कुमार, संयुक्त निदेशक	9837329224
18	सहारनपुर मण्डल		9811620708, 8765951780

सुभाष चन्द शर्मा,
आई.ए.एस.
प्रमुख सचिव

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास
प्राविधिक शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन
(का) 63–नवीन भवन,
सचिवालय, लखनऊ।

शुभकामना–संदेश

प्रशिक्षण **सत्र–2022** में **राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों** के विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश हेतु राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा ऑन–लाइन प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है तथा इस हेतु सर्व–साधारण को प्रवेश से सम्बन्धित समस्त जानकारियाँ उपलब्ध कराये जाने हेतु **विवरण–पुस्तिका** का प्रकाशन तथा ऑन–लाइन पोर्टल पर भी उपलब्धता करायी जा रही है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि **विवरण–पुस्तिका** उत्तर प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के युवाओं/युवतियों के लिए ऑन–लाइन आवेदन करते समय एक महत्वपूर्ण उपकरण तथा मार्गदर्शक का कार्य करेगी।

मैं उपरोक्त के प्रकाशन तथा प्रशिक्षार्थियों के लिए **विवरण–पुस्तिका** के लाभकारी होने की कामना करता हूँ।

(सुभाष चन्द शर्मा)

नोडल प्रधानाचार्यों का सम्पर्क विवरण

क्र.सं.	जनपद	प्रधानाचार्य	मोबाइल नं0
1	कानपुर नगर	श्री नरेश कुमार	9628374354
2	कानपुर देहात	श्री राम सिंह	9455162324
3	इटावा	श्रीमती हेमलता यादव	9430554200
4	औरेया	श्री संजीव कुमार	9415478279
5	कन्नौज	श्री अमित पटेल	9559983383
6	फर्रुखाबाद	श्री अमित पटेल	9415718238
7	प्रयागराज	श्री सुजीत कुमार श्रीवास्तव	9559193735
8	कौशाम्बी	श्री के0के0 राम	9451846284
9	प्रतापगढ़	श्री बी0 बी0सिंह	9628372931
10	फतेहपुर		9628374354
11	झांसी	श्री राज कुमार	8299715107
12	ललितपुर	श्री मान सिंह भारती	9628374357 8299761595
13	उरई जालौन	श्रीमती नुपुर कश्यप	9936448003
14	बांदा	श्री राकेश कुमार मौर्या	9628374359
15	चित्रकूटधाम	श्री वी0 के तिवारी	9795208698
16	महोबा	श्रीमती नीति मिश्रा	6387455981
17	हमीरपुर	श्री हरीश कुमार मिश्रा	7084129641 9415177465
18	आगरा	श्री आशीष दुबे	9918298215
19	मथुरा	श्री राजपाल सिंह	8791589730
20	फिरोजाबाद	श्री के0 डी0 मिश्रा	9720912069, 7007837304
21	मैनपुरी	श्री संजय सागर	9411007278
22	बरेली	श्री राम प्रकाश	9415954769
23	बदांयू	श्री राजीव कुमार	8791485450
24	पीलीभीत		9415364148
25	शाहजहांपुर	श्री नागेंद्र सिंह	7408414310
26	मुरादाबाद	श्री टी0 पी0 कौशिक	9628374332
27	संभल/चंदौसी	श्री राहुल कृष्ण शर्मा	8791498068 8279939967
		श्री एस.के. वाष्णेय	9450477398 6398768971
28	अमरोहा	श्री शिवकुमार शर्मा	9411686757 8650308781
29	बिजनौर	श्री मंजुल मयंक	8774965825, 9837133449
30	रामपुर	श्री अशोक कुमार मधुर	9415357900
31	एटा	श्री अरविंद कुमार	9456913913
32	कासगंज	श्री अवधेश सिंह	9358675813
33	हाथरस	श्री राजेश्वर सिंह	9410038845
34	अलीगढ़	श्री नबाव सिंह	9628374307
35	लखनऊ	श्री आर0 एन0 त्रिपाठी	8840198579 9415506200
36	हरदोई	श्री आर0 एस0 यादव	9411001184
37	सीतापुर		8791589730
38	उन्नाव	श्री वी0 के0 वर्मा	8874832323

क्र.सं.	जनपद	प्रधानाचार्य	मोबाइल नं0
39	रायबरेली	श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव	9412656754
40	लखीमपुर खीरी	श्री यज्ञदेव सिंह	7906065697
41	गोण्डा	श्री अनिल वर्मा	9415364148 9670117769
42	बहराइच	श्री प्रदीप अग्निहोत्री	9129876220
43	बलरामपुर	श्री गोविन्द कुमार	9919701643 9450546566
44	श्रावस्ती	श्री मुकेश कुमार	8052118716
45	अयोध्या	श्री विनोद कुमार	7007846676
46	अम्बेडकर नगर	श्री भूपेन्द्र कुमार पाल	9453441144
47	अमेठी	श्री मनीष कुमार पाल	7408414320
48	बाराबंकी	श्री दीपक कुमार यादव	7705961109 9628371090
49	सुल्तानपुर	श्री अरुण कुमार	9415564469
50	वाराणसी	श्री अरूण कुमार यादव	9415364452
51	चन्दौली	श्री अरूण कुमार यादव	9415364452
52	गाजीपुर	श्री संजय आर्या	9415702465 7523922066
53	जौनपुर		9811620708
54	गोरखपुर	श्री सत्यकान्त सिंह	9415911967, 7408414309
55	महाराजगंज	श्री अमित कुमार मद्धेशिया	9450880440
56	देवरिया	श्री शोभनाथ	9235701299
57	कुशीनगर	श्री शरद चन्द्र	8765278069
58	आजमगढ़	श्री अशोक कुमार	9450626506
59	बलिया	श्री रवीन्द्र पटेल	8081221924
60	मऊ	श्री संजीव कुमार जैन	9760048794 7906671217
61	मिर्जापुर	श्री पी0 के0 शाक्यवार	8467898471
62	सोनभद्र	श्री जी0एस0 यादव	9451846246
63	सन्तरविदास नगर	श्री सत्यदेव दुबे	9305948789
64	बस्ती	श्री पी0 के0 श्रीवास्तव	9415350760
65	सन्तकबीरनगर	श्री सन्तोष कुमार श्रीवास्तव	9628374386
66	सिद्धार्थ नगर	श्री राजकुमार यादव	9628374342
67	मेरठ	श्री सी0 पी0 अग्रवाल	9410418268
68	बुलन्दशहर		8774965825
69	गाजियाबाद		9412305463
70	हापुड़	श्री मुकेश प्रताप सिंह	9675620777
71	गौतमबुद्ध नगर	श्री राधाकृष्ण	9412305463
72	बागपत	श्री नीरज कुमार	9412386415
73	सहारनपुर	श्री राकेश कुमार	9811620708
74	शामली	श्री रवि भूषण	9837561350
75	मुजफ्फरनगर	श्री मनोज कुमार दूबे	9568496448

उत्तर प्रदेश के राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु आनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

FLOW CHART FOR ONLINE SUBMISSION OF APPLICATION FOR ADMISSION IN GOVERNMENT AND PRIVATE ITI IN UTTAR PRADESH

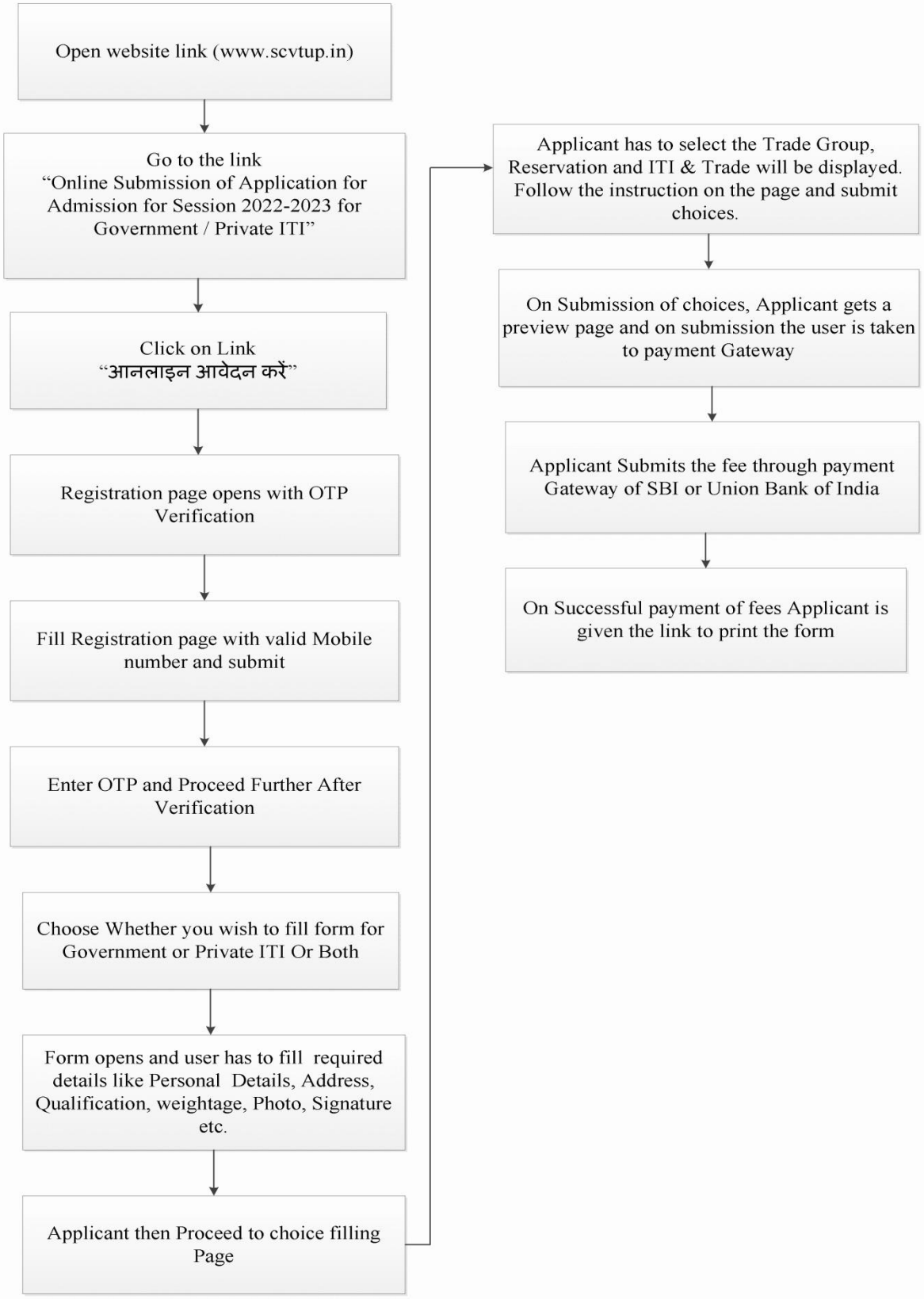

अनुक्रमणिका

क्र0	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	
2.	सामान्य निर्देश/आवेदन पत्र भरने हेतु निर्देश	
3.	आवेदन पत्र का प्रारुप	
4.	आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश	
5.	अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश	
6.	उत्तर प्रदेश में स्थित जनपदों के कोड- परिशिष्ट-01	
7.	कोर्स ग्रुप-ए इजीनियरिंग/इतर इंजीनियरिंग व्यवसायों के कोड एवं उनका संक्षिप्त परिचय परिशिष्ट-02-06	
8.	कोर्स ग्रुप-बी इंजीनियरिंग/ इतर-इंजीनियरिंग व्यवसाय, कोड एवं उनका संक्षिप्त परिचय परिशिष्ट-07-10	
9.	जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रारुप (1-7) परिशिष्ट-11	
10.	स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान(SCSP) के तहत संचालित राजकीय आई0टी0आई के नाम एवं कोड परिशिष्ट-12	
11.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित एन0सी0वी0टी0 व्यवसायों की प्रवेश क्षमता परिशिष्ट-13	
12.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित डी0एस0टी0 (एन.सी.वी.टी) व्यवसायों की प्रवेश क्षमता परिशिष्ट-14	
13.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित एस0सी0वी0टी0 व्यवसायों की प्रवेश क्षमता परिशिष्ट-15	
14.	पी0पी0पी0 मॉडल पर संचालित राजकीय/निजी संस्थानों के एस0सी0वी0टी0 व्यवसायों की प्रवेश क्षमता परिशिष्ट-16	
15.	निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित एन0सी0वी0टी0 व्यवसायों की प्रवेश क्षमता परिशिष्ट-17	

प्रस्तावना

21 वीं शताब्दी भारत की होगी, ये हम सब पिछली शताब्दियों से लगातार सुनते आये हैं। 21 वीं शताब्दी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, हम सभी की जिम्मेदारी भी है। इसका मार्ग क्या हो, दुनिया में आज की परिस्थितियां हमे सिखाती हैं कि इसका मार्ग एक ही है और वह है "आत्मनिर्भर भारत"। **नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत गणराज्य।**

राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (Craftsman Training Scheme) का क्रियान्वयन किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत ''राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन0सी0वी0टी0) ''एवं'' राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एस0सी0वी0टी0)''के निर्धारित व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरुप कौशल अर्जित करने, तकनीकी और औद्योगिक अभिव्यक्त उत्पन्न कर स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाने एवं औद्योगिक उत्पाद की मात्रा व गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देना तथा प्रशिक्षार्थियों को ज्ञान के साथ–साथ कौशल अर्थात कार्य को स्वयं द्वारा सम्पादित करने की सक्षमता प्रदान करने का अवसर प्रदान करना है।

राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय आई0टी0आई0 प्रवेश प्रक्रिया अर्हकारी शैक्षिक योग्यता की मेरिट के माध्यम से दिया जाता है।

उत्तर प्रदेश में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एक दृष्टि में	
प्रदेश में कुल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	304
प्रदेश में महिलाओं हेतु स्थापित विशिष्ट राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	12
प्रदेश में स्थापित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की महिला शाखायें	47
प्रदेश के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में स्थापित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	43
प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु अनुसूचित जाति सब प्लान (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत स्थापित विशिष्ट राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	84
प्रदेश में संचालित कुल व्यवसाय जिनमें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है	70
प्रशिक्षण सत्र 2022 में प्रवेश हेतु उपलब्ध कुल सीटें	1,20,275

नोटः–परिशिष्ट 13 से 16 पर एन.सी.वी.टी. एवं एस.सी.वी.टी. व्यवसायों में प्रवेश हेतु विकास खण्डवार, तहसीलवार एवं जनपदवार संचालित संस्थानों की व्यवसायवार स्वीकृत सीटों की स्थिति दर्शायी गयी है।

उत्तर प्रदेश में निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एक दृष्टि में	
प्रदेश में कुल निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	2856
प्रदेश में संचालित कुल व्यवसाय जिनमें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है	51
प्रशिक्षण सत्र 2022 में प्रवेश हेतु उपलब्ध कुल सीटें	3,98,876

नोटः–परिशिष्ट 17 पर प्रवेश हेतु व्यवसायवार स्वीकृत सीटों की स्थिति दर्शायी गयी है।

विवरण पुस्तिका भली–भाँति पढ़कर ही ऑन–लाइन आवेदन करें।

सामान्य निर्देश

1. **ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया/दिशा–निर्देश**

ऑनलाइन आवेदन का भुगतान केवल डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इन्टरनेट बैंकिंग/यू0पी0आई0 के माध्यम से किया जाना है, जिस हेतुः–

a–यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।

b– स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, के पेमेन्ट गेटवे की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट **http://www.scvtup.in** को खोलना होगा, तथा उस पर बने हुए लिंक (राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु) **"Online Submission of Application for Admission for Session 2022-23 for Government/Private ITI"** पर क्लिक कर पहले अपना फार्म निम्नानुसार भरना होगा। **साथ ही अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन से पूर्व OTP से मोबाइल नम्बर का सत्यापन कराना होगा,** जिसका विवरण निम्नवत् हैः-

OTP की प्रक्रिया–

"Online Submission of Application for Admission for Session 2022-23 for Government/Private ITI" पर क्लिक करते ही आवेदक के सम्मुख एक फार्म खुल जाएगा। उपरोक्त फार्म में आवेदक को अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, अपना वर्ग, मोबाइल नम्बर भरकर **Send OTP** (ओटीपी भेजें) बटन पर क्लिक करना होगा। अगले चरण पर पहुँचने के लिए आवेदक के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा जिसे सम्बन्धित बॉक्स में भरकर **Verify & Proceed** (सत्यापन करें व आगे बढ़ें) बटन पर क्लिक करना होगा।

ओटीपी के सत्यापन होने के पश्चात आवेदक को निम्न पेज उपलब्ध होगा :–

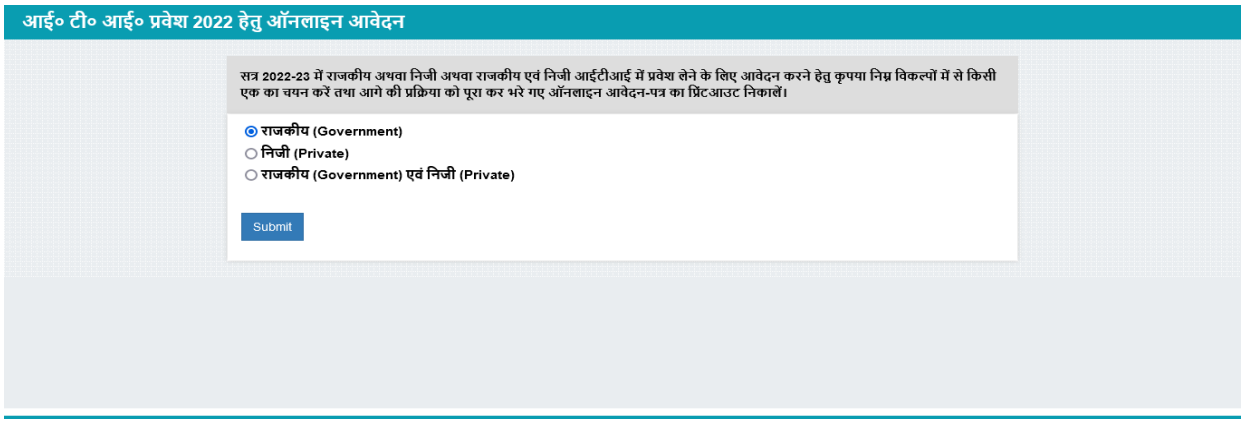

फार्म भरने की प्रक्रिया वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। फार्म भरने के पश्चात उसे "Preview" वाले पृष्ठ पर अंकित 'Proceed For Payment' के लिंक पर क्लिक कर–**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया व स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, के पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से** ऑनलाईन भुगतान करना होगा। भुगतान होने पर वह अपने फार्म का प्रिंट आउट ले सकेगा। ऑनलाइन आवेदन में सहायता हेतु विवरणी ई–फार्म में वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी विवरणी को पूर्ण रूप से या आवश्यकता के अनुसार विवरणी का कोई भाग प्रिंट कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकता है।

अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन प्रारूप में सूचना सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन में किसी प्रकार की गलती होने पर आवेदन पत्र निरस्त हो सकता है। अभ्यर्थियों द्वारा गलत सूचनाएँ देने पर चयनित होने के उपरान्त भी प्रवेश निरस्त माना जायेगा। ऑनलाइन आवेदन केवल अंग्रेजी के बड़े अक्षर(A,B,C….) एवं अंग्रेजी के अंकों (1,2,3.) में ही भरे जाने हैं। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी का नाम, माता एवं पिता का नाम हिन्दी में भी प्रविष्टि करना होगा, इसके लिए ONLINE KEYBOARD की व्यवस्था दी गयी है।

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की विधि (राजकीय/निजी संस्थानों हेतु) :–

1. **अभ्यर्थी का नाम** (Name of Applicant)– ऑनलाइन आवेदन के क्रमांक–01 पर अभ्यर्थी अपने नाम को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में उसी प्रकार लिखे जैसा कि उसके हाई स्कूल अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र में अंकित है। नाम, मध्यनाम व उपनाम के बीच में एक खाली स्थान रखें। नाम से पहले SHRI/SMT/KM आदि न लगायें। नमूने में अभ्यर्थी का नाम SANDEEP KUMAR है। अभ्यर्थी द्वारा नाम हिन्दी में भी प्रविष्टि करना होगा, इसके लिए ONLINE KEYBOARD की व्यवस्था दी गयी है।
2. **पिता का नाम** (Father's Name)–क्रमांक–2 में अभ्यर्थी अपने पिता के नाम को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में उसी प्रकार लिखे जैसा कि उसके हाई स्कूल अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र में अंकित ळें नाम, मध्यनाम व उपनाम के बीच में एक खाली स्थान रखें। नाम से पहले SHRI न लगायें। नमूने में अभ्यर्थी के पिता का नाम AMAR PRATAP है। अभ्यर्थी द्वारा पिता का नामहिन्दी में भी प्रविष्टि करना होगा, इसके लिए ONLINE KEYBOARD की व्यवस्था दी गयी है।
3. **माता का नाम** (Mother's Name)–क्रमांक–3 में अभ्यर्थी अपनी माता के नाम को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में उसी प्रकार लिखे जैसा कि उसके हाई स्कूल अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र में अंकित है। नाम, मध्यनाम व उपनाम के बीच में एक खाली स्थान रखें। नाम से पहले SMT न लगायें। नमूने में अभ्यर्थी के माता का नाम GEETA DEVI है। अभ्यर्थी द्वारा माता का नाम हिन्दी में भी प्रविष्टि करना होगा, इसके लिए ONLINE KEYBOARD की व्यवस्था दी गयी है।
4. **पति या पत्नी का नाम** (Spouse Name)–क्रमांक–4 में अभ्यर्थी अपने पति या पत्नी के नाम को अंग्रेजीं के बड़े अक्षरों में लिखें। नाम, मध्य नाम व उपनाम के बीच में एक खाली स्थान रखें। नाम से पहले SHRI/SMT न लगायें। नमूने में अभ्यर्थी की पत्नी का नाम MADHU है। अभ्यर्थी द्वारापति या पत्नीका नाम हिन्दी में भी प्रविष्टि करना होगा, इसके लिए ONLINE KEYBOARD की व्यवस्था दी गयी है।
5. **लिंग (**Gender)–यदि आप पुरूष हैं तो पुरूष के विकल्प का चयन करें तथा यदि आप महिला अभ्यर्थी हैं, तो महिला के विकल्प का चयन करें। ट्रांसजेंडर (उभयलिंगी/विपरीतलिंगी) का विकल्प भी उपलब्ध है।
6. **जन्मतिथि** (Date Of Birth)– क्रमांक–6 में अपनी जन्मतिथि उसी प्रकार लिखें जैसा कि आपके हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण–पत्र में अंकित है। तिथि के लिए अंग्रेजी अंक 01 से 31 का उपयोग करें, जन्म माह के लिए अंकित महीने के अंग्रेजी नाम का चयन करें एवं तदोपरान्त वर्ष का चयन करें। (आवेदन पत्र के नमूने में अभ्यर्थी की जन्मतिथि 04 मई, 1992 दर्शायी गयी है।)
7. **वर्ग**(Category)–आवेदन पत्र के क्रमांक–7 पर विभिन्न वर्गों के लिए जाति वर्ग (Category) का चयन करें।

   क–अनारक्षित वर्ग–सामान्य (GEN)

   यदि अभ्यर्थी इस वर्ग का चयन करता है तो उसे EWS (Economically Weaker Section) के आरक्षण के लिए विकल्प मिल जायेगा। EWS की अर्हरता के लिये यहीं पर दिये गये Link पर जाकर सूचना देखी जा सकती है।

   ख– आरक्षित वर्ग–1. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) 2. अनुसूचित जाति (SC) 3. अनुसूचित जनजाति (ST)
8. **उप वर्ग** (Sub Category)–अभ्यर्थी अपनी उप श्रेणी के आधार पर इस खाने में सबंधित उप वर्ग का चुनाव करें। भरा हुआ नमूना देखें। यदि अभ्यर्थी किसी भी उप वर्ग में नहीं आता है तो उसे कोई चयन नहीं करना है।

   क– स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित
   ख– सेवारत अथवा भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित
   ग– शारीरिक रूप से दिव्यांग (निःशक्त)
9. **दिव्यांगता का प्रकार** (Disability)–यदि अभ्यर्थी शारीरिक रूप से दिव्यांग है, तो दिव्यांगता के प्रकार का चयन करें।
10. **अल्पसंख्यक श्रेणी** (MINORITY CATEGORY)–अल्पसंख्यक अभ्यर्थी इस कालम में अल्पसंख्यक श्रेणी का चयन कर प्रविष्टि करें। अल्पसंख्यक से भिन्न श्रेणी के अभ्यर्थी से इस कालम में किसी कार्यवाही की अपेक्षा नहीं है।
11. **आधार कार्ड नम्बर** (UID NUMBER)–इस कालम में अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड नम्बर, यदि आवंटित हो, की प्रविष्टि करें।
12. **मोबाइल नम्बर** (Mobile Number) –इस क्रमांक के सामने अभ्यर्थी अपना 10 अंको वाला मोबाइल नम्बर अंकित करें। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन से पूर्व OTP से मोबाइल नम्बर का सत्यापन कराना होगा। यदि अभ्यर्थी के पास अपना मोबाइल कनेक्शन/नम्बर नहीं है तो वह अपने अभिभावक अथवा ऐसे सम्बन्धी का मोबाइल नम्बर

अंकित कर सकता है जिससे उसे चयन/प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक सूचनाएं प्राप्त हो सकें। मोबाइल नम्बर के प्रारम्भ में **0(Zero)** न लगायें।

13. **ई–मेल आईडी** (E-mail ID)–इस क्रमांक के सामने अभ्यर्थी अपनी ई–मेल आईडी अंकित कर सकता है।

14. **मूल निवास स्थान** (Domicile)–इस क्रमांक के सामने अभ्यर्थी यदि उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी है तो उसे ''उत्तर प्रदेश'' अन्यथा अन्य प्रदेश का मूल निवासी होने की दशा में ''अन्य'' का चयन करना है।

15. **गृह जनपद** (Home District)–अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश राज्य के जिस जनपद का मूल निवासी है उसका चयन करें।

निम्न विवरण राजकीय संस्थानों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र में पूर्ण किए जाने हैं :–

16. **गृह तहसील** (Home Tehsil)–इस क्रमांक के सामने अभ्यर्थी को अपने द्वारा उक्तानुसार चयनित जनपद की उस तहसील का चयन करना है, जहां का वह मूल निवासी है, उसका चयन करें।

17. **गृह विकास खण्ड** (Home Block)–इस क्रमांक के सामने अभ्यर्थी को अपने द्वारा उक्तानुसार चयनित तहसील के उस विकास खण्ड का चयन करना है, जहां का वह मूल निवासी है, उसका चयन करें।
नगरीय क्षेत्र में संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का विकास खण्ड परिशिष्ट 13 से 16 में विकास खण्ड ''नगर क्षेत्र'' दर्शाया गया है। नगरीय क्षेत्र का रहने वाला अभ्यर्थी तदानुसार विकल्प प्रस्तुत कर सकता है।

निम्न विवरण राजकीय/निजी संस्थानों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र में पूर्ण किए जाने हैं :–

18. अ– **स्थायी पता (Permanent Address)**–अभ्यर्थी अपना स्थायी पता अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में अत्यन्त सावधानी पूर्वक निर्धारित खाने में ही भरें।

ब– **पत्र व्यवहार का पता (Address for Correspondence)**– अभ्यर्थी अपने पत्र व्यवहार का पूरा पता केवल अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में अत्यन्त सावधानी पूर्वक निर्धारित खाने में ही भरें। पते के साथ पिन कोड संख्या अवश्य भरें। पते में नाम व पिता का नाम न भरें। इसी पते का उपयोग प्रवेश सम्बन्धी अन्य कार्यवाहियों हेतु परिषद द्वारा किया जायेगा।

19. **अर्हकारी शैक्षिक योग्यता (Qualifying Educational Qualification)**–निर्धारित शैक्षिक योग्यता वाला अभ्यर्थी ही ऑन लाइन आवेदन भरने के योग्य है। विवरण पुस्तिका के परिशिष्ट–**02 से 10** पर व्यवसाय में प्रवेश हेतु वांछित शैक्षिक अर्हता और व्यवसायों के विवरण दिए गये हैं। कृपया अभ्यर्थी उसका भली भांति अध्ययन कर लें व तद्नुसार व्यवसायों का चयन करें।

शैक्षिक योग्यता	शैक्षिक योग्यता कोड
• 8वॉ उत्तीर्ण ।	1
• 10वॉ उत्तीर्ण ।	2
• 10वॉ उत्तीर्ण (विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ)।	4
• 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ तथा अलग–अलग न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको के साथ)।	5
• 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ)।	6
• 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत अथवा समकक्ष तथा शारीरिक दक्षता–ऊचाई 165 सेमी,–वजन 52 किग्रा, सीना 81 सेमी, सामान्य, फूला हुआ 85 सेमी, तथा पंजीकृत एम0बी0बी0एस0 योग्यता धारक चिकित्सक द्वारा विषय विशेष हेतु प्रदत्त चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र)	7

नोटः परिशिष्ट 02 से 10 तक में व्यवसाय हेतु दर्शायी गयी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता डी0जी0टी0 भारत सरकार द्वारा व्यवसाय विशेष के लिए निर्धारित की गयी है।

ऑन लाइन पोर्टल पर अभ्यर्थी को वे ही व्यवसाय प्रदर्शित होंगे जिनमें प्रवेश पाने की न्यूनतम अर्हकारी शैक्षिक योग्यता उसके पास होगी इसलिए शैक्षिक योग्यता का कॉलम भली प्रकार देखकर भरें। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक कालम की शैक्षिक योग्यता रखते हैं, तो तद्नुसार भरें।
अभ्यर्थी अपने इच्छित व्यवसाय विशेष हेतु अर्हकारी शैक्षिक योग्यता (आठवीं अथवा हाईस्कूल जैसा लागू हो) के अनुसार ही चयन करें। अभ्यर्थी व्यवसाय के विकल्प को अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुसार ही भरें जिसका व्यवसायवार विवरण परिशिष्ट–02 से 10 में प्रदर्शित है। चयनित होने की दशा में

संस्थान में प्रवेश के समय अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण–पत्र/अंकपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

शासनादेश के अनुसार हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद से उत्तीर्ण अभ्यर्थी राजकीय/निजी आई.टी.आई. में चयन हेतु पात्र नहीं है। माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है, परन्तु यदि कोई अभ्यर्थी समकक्ष परीक्षा के आधार पर चयन हेतु आवेदन करता है तो उसे उसके द्वारा उत्तीर्ण परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के समकक्ष होने का प्रमाण पत्र संबंधित जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक अथवा उप निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश से स्वयं प्राप्त कर चयनित राजकीय/निजी आई. टी.आई. में देना आवश्यक होगा। इसके अभाव में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

20.(अ) **पिछला आई0टी0आई0 का नाम (Name of Previous ITI)**–अभ्यर्थी यदि पूर्व में किसी आई0टी0आई0 का प्रशिक्षार्थी रहा हो, तो उस आई0टी0आई0 का नाम इस कालम में भरें।

(ब) **पिछला आई0टी0आई0 व्यवसाय का नाम (Name of Previous ITI Trade)**–इसी तरह यदि अभ्यर्थी पूर्व में आई0टी0आई0 के किसी व्यवसाय का प्रशिक्षार्थी रहा हो, तो इस कालम में उस व्यवसाय का नाम भरें।

21.(1) **वरीयता**–राजकीय आई.टी.आई. की प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी अपनी निर्धारित वरीयता के विकल्प का चयन करेंगे जो निम्नवत् है–

- राज्य स्तरीय खिलाड़ी के अभ्यर्थी के लिए
- राजकीय आई0टी0आई0 के कर्मचारियों के आश्रित पुत्र, अविवाहित अथवा विधवा पुत्री के लिए
- राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के कर्मचारियों के आश्रित पुत्र, अविवाहित अथवा विधवा पुत्री के लिए
- उद्योग द्वारा नामित अभ्यर्थी के लिए (किसी उद्योग में दो वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत है एवं उस उद्योग द्वारा प्रशिक्षण ग्रहण करने हेतु नामित है)

उपरोक्त चारों बिन्दुओं से संबंधित अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुसार वांछित विकल्प का चयन करें। भरा हुआ नमूना देखें। (नमूना में अभ्यर्थी राज्य स्तरीय खिलाड़ी है।)

21.(2) वरीयता–निजी आई.टी.आई. की प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी अपनी निर्धारित वरीयता के विकल्प का चयन करेंगे जो निम्नवत् है–

- **राज्य स्तरीय खिलाड़ी के अभ्यर्थी के लिए**

22.1 **फोटोग्राफ**–अभ्यर्थी अपनीनवीनतम डिजिटल अथवा स्कैन्ड फोटो (अधिकतम 50 KB साइज की .jpg, .jpeg file format में) को निर्धारित स्थान में अपलोड करें। फोटोग्राफ आवेदन पत्र के क्रमांक–22.1 पर अपलोड किया जायेगा।

22.2 **अभ्यर्थी के हस्ताक्षर**– अभ्यर्थी सादे कागज पर किये गये अपने हस्ताक्षर को स्कैन कर (अधिकतम 50 KB साइज की .jpg, .jpeg file format में) उसे निर्धारित स्थान में अपलोड करें। हस्ताक्षर आवेदन पत्र के क्रमांक–22.2 पर अपलोड किया जायेगा।

23 (1). **आवेदित कोर्स ग्रुप**– उक्त के कोड को भरने हेतु राजकीय संस्थानों हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जाये–
उदाहरण–

(क) अभ्यर्थी यदि कोर्सग्रुप A के अंतर्गत उपलब्ध व्यवसायों में प्रवेश चाहता है, तो उसे ग्रुप A का चयन करना होगा। अभ्यर्थी अपनी शैक्षिक अर्हता के अनुसार किन्ही तीन (03) जनपदों के अधिकतम 06 संस्थानों के अधिकतम 10 व्यवसायों का चयन कर सकता है।

(ख) अभ्यर्थी यदि कोर्सग्रुप B के अंतर्गत उपलब्ध व्यवसायों में प्रवेश चाहता है, तो उसे ग्रुप B का चयन करना होगा। अभ्यर्थी अपनी शैक्षिक अर्हता के अनुसार किन्ही तीन (03) जनपदों कें अधिकतम 06 संस्थानों के अधिकतम 10 व्यवसायों का चयन कर सकता है।

(ग) अभ्यर्थी यदि कोर्स ग्रुप A एवं B दोनों के अंतर्गत उपलब्ध व्यवसायों में प्रवेश चाहता है, तो उसे तदनुसार दोनों ग्रुप का चयन करना होगा।

23 (2). आवेदित कोर्स ग्रुप– उक्त के कोड को भरने हेतु निजी संस्थानों हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जाये–
उदाहरण–

(क) अभ्यर्थी यदि कोर्सग्रुप A के अंतर्गत उपलब्ध व्यवसायों में प्रवेश चाहता है, तो उसे ग्रुप A का चयन करना होगा। अभ्यर्थी अपनी शैक्षिक अर्हता के अनुसार किन्ही तीन (03) जनपदों के अधिकतम 25 संस्थानों के व्यवसायों का चयन कर सकता है।

(ख) अभ्यर्थी यदि कोर्सग्रुप B के अंतर्गत उपलब्ध व्यवसायों में प्रवेश चाहता है, तो उसे ग्रुप B का चयन करना होगा। अभ्यर्थी अपनी शैक्षिक अर्हता के अनुसार किन्ही तीन (03) जनपदों के अधिकतम 25 संस्थानों के व्यवसायों का चयन कर सकता है।

(ग) अभ्यर्थी यदि कोर्स ग्रुप A एवं B दोनों के अंतर्गत उपलब्ध व्यवसायों में प्रवेश चाहता है, तो उसे तदानुसार दोनों ग्रुप का चयन करना होगा।

24. स्थानीय आरक्षण हेतु विकल्प (राजकीय संस्थानों में प्रवेश हेतु)–

अ. गृह विकास खण्ड– यदि अभ्यर्थी गृह विकास खण्ड स्तर का आरक्षण चाहता है तो इस विकल्प का चयन करें। नगरीय क्षेत्र में संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का विकास खण्ड परिशिष्ट–13 से 16 में विकास खण्ड ''नगर क्षेत्र'' दर्शाया गया है। नगरीय क्षेत्र का रहने वाला अभ्यर्थी तदानुसार विकल्प प्रस्तुत कर सकता है।

ब. गृह तहसील– यदि अभ्यर्थी गृह तहसील स्तर का आरक्षण चाहता है तो इस विकल्प का चयन करें।

स. गृह जनपद –यदि अभ्यर्थी गृह जनपद स्तर का आरक्षण चाहता है तो इस विकल्प का चयन करें।

द. गृह प्रदेश–यदि अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश स्तर का आरक्षण चाहता है तो इस विकल्प का चयन करें।

नोट–अभ्यर्थी उपरोक्त में से एक, अधिक या सभी विकल्पों का चयन कर सकता है।

25. (1) ग्रुप–ए व ग्रुप–बी (Group-A & Group-B)–अभ्यर्थियों द्वारा जनपद/तहसील/विकास खण्ड का विकल्प भरने पर वहां संचालित समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रदर्शित होने लगेगें। फार्म के इस कालम में बाई ओर प्रदर्शित हो रहे **''आई0टी0आई0 सूची'' में** आई0टी0आई0 क्लिक करने के पश्चात ''चुने'' बटन पर क्लिक करें। तद्नुसार चुनी हुई आई0टी0आई0 दायीं ओर चयनित आई0टी0आई0 बॉक्स में प्रदर्शित होगी।

25. (2) ग्रुप–ए व ग्रुप–बी (Group-A & Group-B)– अभ्यर्थियों द्वारा जनपद का विकल्प भरने पर वहां संचालित समस्त निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रदर्शित होने लगेगें। फार्म के इस कालम में बाई ओर प्रदर्शित हो रहे ''आई0टी0आई0 सूची'' में आई0टी0आई0 क्लिक करने के पश्चात ''चुने'' बटन पर क्लिक करें। तद्नुसार चुनी हुई आई0टी0आई0 दायीं ओर चयनित आई0टी0आई0 बॉक्स में प्रदर्शित होगी।

चयनित आई0टी0आई0 सूची में किसी आई0टी0आई0 ''+'' निशान को क्लिक करने पर उसमें संचालित व्यवसाय दिखने लगेंगे। व्यवसाय के नाम पर क्लिक करने पर उसे चयनित व्यवसाय के बॉक्स में उस व्यवसाय का नाम भी जुड़ जायेगा।

नोट :– चयनित संस्थान अथवा व्यवसाय का संशोधन अभ्यर्थी फार्म Submit करने से पूर्व कर सकता है, परन्तु फार्म Submit करने के उपरान्त चयनित संस्थान/व्यवसाय में कोई परिवर्तन (संशोधन) सम्भव नहीं होगा।

चयनित संस्थान (आई0टी0आई0) को हटाने के लिए अभ्यर्थी को आई0टी0आई0 का चयन करके हटाये बटन पर क्लिक करना होगा। इसी प्रकार चयनित व्यवसाय को हटाने के लिए अभ्यर्थी को व्यवसाय का चयन करके ''व्यवसाय हटाये बटन'' पर क्लिक करना होगा।

उपरोक्तानुसार ऑनलाइन आवेदन भरने के उपरान्त अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह उसे भली–भाँति जाँच कर लें। अभ्यर्थी को ऑन लाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् Preview करने की सुविधा मिलेगी जिसे अभ्यर्थी भली–भाँति एवं सावधानी पूर्वक जाँच करने के उपरान्त ही ऑन लाइन आवेदन पत्र सुरक्षित (submit) करें। एक बार आवेदन सुरक्षित कर देने पर उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा संशोधन अनुमन्य नहीं होगा।

फार्म भरने के पश्चात उसे "Preview" वाले पृष्ठ पर अंकित 'Proceed For Payment' के लिंक पर क्लिक कर **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया व स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से** ऑनलाइन भुगतान करना होगा। भुगतान होने पर वह अपने फार्म का प्रिंट आउट ले सकेगा। ऑनलाइन आवेदन में सहायता हेतु विवरणी ई–फार्म में वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी विवरणी को पूर्ण रूप से या आवश्यकता के अनुसार विवरणी का कोई भाग प्रिंट कर सकते हैं, या डाउनलोड कर सकता है।

राजकीय आई० टी० आई० प्रवेश 2022 हेतु ऑनलाइन आवेदन

STEP-1 | STEP-2 | STEP-3

1- अनिवार्य फील्ड है * 2- विवरण पुस्तिका भली-भांति पढ़कर ही ऑन-लाइन आवेदन करें|
3-अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम व जन्मतिथि अपने हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के अनुसार प्रविष्ट करें।

1 (अ). Name of Applicant (In English) *
SANDEEP KUMAR

2 (अ). Father's Name (In English) *
AMAR PRATAP

3 (अ). Mother's Name (In English) *
GEETA DEVI

1 (ब). अभ्यर्थी का नाम (हिंदी में) *
संदीप कुमार

2 (ब). पिता का नाम (हिंदी में) *
अमर प्रताप

3 (ब). माता का नाम (हिंदी में) *
गीता देवी

4. Spouse Name (पति या पत्नी का नाम)
MADHU

5. Gender (लिंग) *
Male पुरुष

6. Date of Birth (जन्म तिथि) *
04 | May | 1992

7. Category (वर्ग) *
GEN (सामान्य)

Is EWS * ○ Yes ◉ No

Instruction For EWS

कृप्या EWS के लिए अपनी पात्रता जाँच कर ही Yes व No का चयन करें

8. Sub Category (उप वर्ग)
SELECT (चयन करें)

9. Disability (दिव्यांगता का प्रकार)
SELECT (चयन करें)

10. Minority Category (अल्पसंख्यक श्रेणी)
SELECT (चयन करें)

11. Aadhar Number (आधार नंबर) *
765659609500

12. Mobile No. (मोबाइल नंबर)*
6666666666

13. Email ID (ई- मेल आई-डी)*
Sa@gamil.com

14. Domicile (मूल निवास स्थान) *
Uttar Pradesh (उत्तर प्रदेश)

15. Home District (गृह जनपद)*
Lucknow लखनऊ

16. Home Tehsil (गृह तहसील)*
LUCKNOW SADAR-लखनऊ सदर

17. Home Block (गृह विकास खण्ड) *
CHINHAT-चिनहट

18. Address (पता)

(अ). Permanent Address (स्थायी पता) *
ALIGANJ LUCKNOW

☑ **Same As (अ)**

(ब).Address For Correspondence (पत्र व्यवहार का पता) *
ALIGANJ LUCKNOW

State (प्रदेश)*
UTTAR PRADESH उत्तर प्रदेश

State (प्रदेश)*
UTTAR PRADESH उत्तर प्रदेश

District (जनपद) *
Lucknow लखनऊ

District (जनपद)*
Lucknow लखनऊ

Pincode (पिन कोड)*
123455

Pincode (पिन कोड)*
123455

Permanent Phone Number (स्थायी फोन नंबर) *
6567838990

Correspondence Phone Number (पत्राचार फोन नंबर) *
6567838990

SAVE AND GO TO NEXT STEP

राजकीय आई० टी० आई० प्रवेश 2022 हेतु ऑनलाइन आवेदन

STEP-1 | STEP-2 | STEP-3

1- अनिवार्य फील्ड है * 2- विवरण पुस्तिका भली-भांति पढ़कर ही ऑन-लाइन आवेदन करें|

Applicant Id:-1018

Application Fee : 250/- + Transaction Charges Extra

19. Qualifying Educational Qualification (अर्हकारी शैक्षिक योग्यता)*

- ☐ 8वीं उत्तीर्ण
- ☑ 10वीं उत्तीर्ण
- ☐ 10वीं उत्तीर्ण (विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ)
- ☐ 10वीं उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ तथा अलग-अलग न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको के साथ)
- ☐ 10वीं उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ)
- ☐ 10वीं उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत अथवा समकक्ष तथा शारीरिक दक्षता-ऊचाई 165 सेमी, वजन 52 किग्रा, सीना 81 सेमी, सामान्य, फूला हुआ 85 सेमी, तथा एम०बी०बी०एस योग्यता धारक चिकित्सक द्वारा विषय विशेष हेतु प्रदत्त चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र)|

नोट: यदि अभ्यर्थी ने CBSE बोर्ड से 10 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो CGPA कॉलम में CGPA भरें तथा उसका प्रतिशत निकालकर 100 पूर्णांक के सापेक्ष प्राप्तांक भरें|

Exam Name (परीक्षा का नाम)	Board (बोर्ड)	College/School Name (कालेज/स्कूल का नाम)	Roll No. (अनुक्रमांक)	Passing Year (उत्तीर्ण वर्ष)	Subject (विषय)	Max Marks (पूर्णांक)	Obtain Marks (प्राप्तांक)	CGPA	Grade	%
Junior High school (आठवीं)				Year					Grade	
High school or Equivalent (हाईस्कूल या समकक्ष)	UP Board	KHS School	343434343	2020	HINDI	500	280		A+	56.00

20(अ). Name of Previous ITI (पिछला आईटीआई का नाम)

20(ब). Name of Previous ITI Trade (पिछला आईटीआई के व्यवसाय का नाम)

21. वरीयता-वरीयता अंक हेतु विशेष श्रेणी का चयन करें

- ☑ राज्य स्तरीय खिलाडी(राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र)
- ☐ राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत कर्मचारी के आश्रित पुत्र, अविवाहित अथवा विधवा पुत्री हेतु
- ☐ राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद में कार्यरत कर्मचारी के आश्रित पुत्र, अविवाहित अथवा विधवा पुत्री हेतु
- ☐ किसी उद्योग में दो वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत है एवं उस उद्योग द्वारा प्रशिक्षण ग्रहण करने हेतु नामित

22(अ). फोटोग्राफ *

Upload

22(ब). अभ्यार्थी के हस्ताक्षर *

Upload

अधिमानित फोटो का साइज 50 केबी (.jpeg, .jpg केवल) Preferred photo size 50 KB (.jpeg, .jpg only)

Previous | SAVE AND GO TO NEXT STEP

राजकीय आई० टी० आई० प्रवेश 2022 हेतु ऑनलाइन आवेदन

STEP-1 | STEP-2 | STEP-3

Applicant Id:-1018

Application Fee : 250/- + Transaction Charges Extra

1.(ग्रुप का चयन अनिवार्य है, ग्रुप A,B दोनों चयन कर सकते है), इसके पश्चात जनपदों की सूची प्रदर्शित होगी , जनपद का चयन करने पर उस जनपद में संचालित आई. टी. आई. की सूची प्रदर्शित होगी, जिसमे से वांछित आई. टी. आई. का चयन किया जा सकता है।

2.आईटीआई का चयन कर के चुने बटन पर क्लिक कर के उसका चयन करे ,चयनित आईटीआई के "+" निशान पर क्लिक करने पर उसमे संचालित व्यवसाय देखे |

3. व्यवसाय के नाम पर क्लिक करके उसे चयनित व्यवसाय के बॉक्स मे जोड़े |

23. आवेदित कोर्स ग्रुप (चयन करे) (ग्रुप का चयन अनिवार्य है) ☑ **Group A (ग्रुप ए)** ☐ **Group B (ग्रुप बी)**

- विकास खण्ड के स्तर का चयन करने से विकास खण्ड का आरक्षण मान्य होगा।
- तहसील स्तर का चयन करने से तहसील स्तर का आरक्षण मान्य होगा।
- जनपद स्तर का चयन करने से जनपद स्तर का आरक्षण मान्य होगा।
- प्रदेश स्तर का चयन करने से प्रदेश स्तर का आरक्षण मान्य होगा।

24. स्थानीय आरक्षण हेतु विकल्प (चयन करे) (स्थानीय आरक्षण का चयन अनिवार्य है | एक से अधिक स्थानीय आरक्षण का चयन कर सकते है।)

☑ **(अ) गृह विकास खण्ड** ☐ **(ब) गृह तहसील** ☑ **(स) गृह जनपद** ☑ **(द) गृह प्रदेश**

25 (अ). Group A(ग्रुप-ए)

निर्देश

1. अपनी प्राथमिकता के अनुसार नीचे बाई ओर दी गयी "आई टी आई सूची" मे आई टी आई पर क्लिक करने के पश्चात "चुने" बटन पर क्लिक करे।
   तदनुसार चुनी गयी आई टी आई दाई ओर "चयनित आई टी आई" बॉक्स मे प्रदर्शित होगी।
2. जिलेवार अधिकतम तीन जनपदों से अधिकतम 6 आई. टी. आई. के 10 व्यवसाय का चयन कर सकते है।

आई टी आई सूची

- 44-Lucknow
  - ○ GITI (Lucknow)-094- T: LUCKNOW SADAR- D: Lucknow
  - ○ GITI (Lucknow)-081- T: LUCKNOW SADAR- D: Lucknow
  - ○ GITI (Lucknow)-082- T: LUCKNOW SADAR- D: Lucknow
  - ○ GITI (Lucknow)-214- D: Lucknow
  - ○ GITI (Lucknow)-215- D: Lucknow
- 45-Hardoi
  - ○ GITI (Hardoi)-083
  - ○ GITI (Hardoi)-095
  - ○ GITI (Hardoi)-216
  - ○ GITI (Hardoi) -426
  - ○ GITI (Hardoi) -450
  - ○ GITI (Hardoi)-477
- 46-Lakhimpur Kheri

चुनें >

< हटाए

चयनित आई टी आई सूची

"+" निशान पर क्लिक करने पर उसमे संचालित व्यवसाय देखे
व्यवसाय के नाम पर क्लिक करके उसे चयनित व्यवसाय के बॉक्स मे जोड़े |
चयनित आईटीआई को हटाने के लिए आईटीआई का चयन कर के हटाए बटन पर क्लिक करे|

- ☐ GITI (Lucknow)-082- T: LUCKNOW SADAR- D: Lucknow
- ☐ GITI (Lucknow)-081- T: LUCKNOW SADAR- D: Lucknow
- ☐ GITI (Hardoi) -426
  - Computer Operator and Programming Assistant (NCVT)
  - Electronics Mechanic (NCVT)

निर्देश

1. व्यवसाय के नाम पर क्लिक करके उसे चयनित व्यवसाय के बॉक्स मे जोड़े |
2. चयनित व्यवसाय को हटाने के लिए व्यवसाय का चयन कर के व्यवसाय हटायें बटन पर क्लिक करे|
3.ऊपर व नीचे की दिशा वाले तीर के बटन से आप चयनित व्यवसाय का वरीयता क्रम बदल सकते है।

चयनित व्यवसाय सूची

- ○ **1 Electronics Mechanic (NCVT)**
- ○ **2 Stenographer & Secretarial Assistant (Hindi) (NCVT)**

↑ ↓ व्यवसाय हटायें

Previous | Next

राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश

आई.टी.आई. परिसर, अलीगंज, लखनऊ

कौशल बलम्

राजकीय आई० टी० आई० प्रवेश 2022 हेतु ऑनलाइन आवेदन

PREVIEW

Applicant Id:-1018 **Admission Type : Only For Government ITI** **Application Fee : 250/- + Transaction Charges Extra**

1(अ).	**Name of Applicant** (In English)	:	SANDEEP KUMAR	22 (अ).	
1(ब).	**अभ्यर्थी का नाम** (हिंदी में)	:	संदीप कुमार		
2(अ).	**Father's Name** (In English)	:	AMAR PRATAP		
2(ब).	**पिता का नाम** (हिंदी में)	:	अमर प्रताप		
3(अ).	**Mother's Name** (In English)	:	GEETA DEVI	22 (ब).	
3(ब).	**माता का नाम** (हिंदी में)	:	गीता देवी		

4.	**Spouse Name** (पति या पत्नी का नाम)	:	Madhu	**5. Gender** (लिंग)	:	Male
6.	**Date of Birth** (जन्म तिथि)	:	04/05/1992	**7. Category** (वर्ग) (EWS Status)	:	GEN (EWS- No)
8.	**Sub Category** (उप वर्ग)	:		**9. Disability** (दिव्यांगता का प्रकार)	:	
10.	**Minority Category** (अल्पसंख्यक श्रेणी)	:		**11. Aadhar Number** (आधार नंबर)	:	765659609500
12.	**Mobile No.** (मोबाइल नंबर १० अंक वाला)	:	6666666666	**13. Email ID**(ई- मेल आई-डी)	:	Sa@gamil.com
14.	**Domicile** (मूल निवास स्थान)	:	उत्तर प्रदेश	**15. Home District** (गृह जनपद)	:	Lucknow
16.	**Home Tehsil** (गृह तहसील)	:	LUCKNOW SADAR	**17. Home Block** (गृह विकास खण्ड)	:	CHINHAT

18.	**(अ). Permanent Address** (स्थायी पता)	:	Aliganj lucknow	**(ब).Address For Correspondence** (पत्र व्यवहार का पता)	:	Aliganj lucknow
	State (प्रदेश)	:	UTTAR PRADESH	**State** (प्रदेश)	:	UTTAR PRADESH
	District (जनपद)	:	Lucknow	**District** (जनपद)	:	Lucknow
	Pin Code (पिन कोड)	:	123455	**Pin Code** (पिन कोड)	:	123455
	Permanent Phone Number (स्थायी फोन नंबर)	:	6567838990	**Correspondence Phone Number** (पत्राचार फोन नंबर)	:	6567838990

19. **Qualifying Educational Qualification** (अर्हकारी शैक्षिक योग्यता) : 10वाँ उत्तीर्ण।

Exam Name	Board	College Name	Roll No	Passing Year	Subjects	Max Marks	Obtain Marks	CGPA	Grade	%
HighSchool	UP Board	KHS School	343434343	2020	HINDI	500	280		A+	56.00

20. (अ). **Name of Previous ITI** (पिछला आईटीआई का नाम) :
(ब). **Name of Previous ITI Trade** (पिछला आईटीआई के व्यवसाय का नाम) :

21. **वरीयता**
राज्य स्तरीय खिलाडी(राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र)

23. **आवेदित कोर्स ग्रुप** : Group A

24. **स्थानीय आरक्षण हेतु विकल्प** : गृह विकास खण्ड ,गृह जनपद,गृह प्रदेश

25. **(अ). Group A ITI and Trade**

1. Government ITI, Charbagh, Lucknow [082]	1. Electronics Mechanic
2. Government ITI, Aliganj, Lucknow [081]	2. Stenographer & Secretarial Assistant (Hindi)
3. GITI, Bilgram, Hardoi [426]	

25. **(ब). Group B ITI and Trade**

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन के क्रमांक 1 से 25 के अन्तर्गत दी गई समस्त सूचनायें मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा जाँच कर ली गई है किसी भी त्रुटि हेतु मै स्वयं जिम्मेदार रहुँगा/रहुँगी। यदि प्रवेश प्रक्रिया एवं उसके उपरान्त किसी भी स्तर पर मेरे द्वारा दी गई सूचनायें असत्य पाई जाती हैं तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाय एवं प्रवेश के संबंध में मेरा कोई दावा मान्य नहीं होगा।

☐ मै सहमत हूँ

Previous Proceed to payment

आई० टी० आई० प्रवेश 2022 हेतु ऑनलाइन आवेदन

सत्र 2022-23 में राजकीय अथवा निजी अथवा राजकीय एवं निजी आईटीआई में प्रवेश लेने के लिए आवेदन करने हेतु कृपया निम्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करें तथा आगे की प्रक्रिया को पूरा कर भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र का प्रिंटआउट निकालें।

- ○ राजकीय (Government)
- ◉ निजी (Private)
- ○ राजकीय (Government) एवं निजी (Private)

Submit

निजी आई० टी० आई० प्रवेश 2022 हेतु ऑनलाइन आवेदन

STEP-1 | STEP-2 | STEP-3

1- अनिवार्य फील्ड है * 2- विवरण पुस्तिका भली-भांति पढ़कर ही ऑन-लाइन आवेदन करें|
3-अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम व जन्मतिथि अपने हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के अनुसार प्रविष्ट करें|

1 (अ). Name of Applicant (In English) *
SANDEEP KUMAR

2 (अ). Father's Name (In English) *
AMAR PRATAP

3 (अ). Mother's Name (In English) *
GEETA DEVI

1 (ब). अभ्यर्थी का नाम (हिंदी में) *
संदीप कुमार

2 (ब). पिता का नाम (हिंदी में) *
अमर प्रताप

3 (ब). माता का नाम (हिंदी में) *
गीता देवी

4. Spouse Name (पति या पत्नी का नाम)
MADHU

5. Gender (लिंग) *
Male पुरुष

6. Date of Birth (जन्म तिथि) *
04 | May | 1992

7. Category (वर्ग) *
GEN (सामान्य)

Is EWS? * ○ Yes ◉ No

Instruction For EWS

कृप्या EWS के लिए अपनी पात्रता जाँच कर ही Yes व No का चयन करें

8. Sub Category (उप वर्ग)
SELECT (चयन करें)

9. Disability (दिव्यांगता का प्रकार)
SELECT (चयन करें)

10. Minority Category (अल्पसंख्यक श्रेणी)
SELECT (चयन करें)

11. Aadhar Number (आधार नंबर) *
424234234234

12. Mobile No. (मोबाइल नंबर)*
6666666666

13. Email ID (ई- मेल आई-डी)*
Sa@gamil.com

14. Domicile (मूल निवास स्थान) *
(Uttar Pradesh)उत्तर प्रदेश

15. Home District (गृह जनपद)*
Lucknow लखनऊ

18. Address (पता)

(अ). Permanent Address (स्थायी पता) *
ALIGANJ LUCKNOW

☑ **Same As (अ)**

(ब).Address For Correspondence (पत्र व्यवहार का पता) *
ALIGANJ LUCKNOW

State (प्रदेश)*
UTTAR PRADESH उत्तर प्रदेश

State (प्रदेश)*
UTTAR PRADESH उत्तर प्रदेश

District (जनपद) *
Lucknow लखनऊ

District (जनपद)*
Lucknow लखनऊ

Pincode (पिन कोड)*
232323

Pincode (पिन कोड)*
232323

Permanent Phone Number (स्थायी फोन नंबर) *
65234879123

Correspondence Phone Number (पत्राचार फोन नंबर) *
65234879123

SAVE AND GO TO NEXT STEP

निजी आई० टी० आई० प्रवेश 2022 हेतु ऑनलाइन आवेदन

STEP-1 | STEP-2 | STEP-3

1- अनिवार्य फील्ड है * 2- विवरण पुस्तिका भली-भांति पढ़कर ही ऑन-लाइन आवेदन करें|

Applicant Id:-2000010

Application Fee : 250/- + Transaction Charges Extra

19. Qualifying Educational Qualification (अर्हकारी शैक्षिक योग्यता)*

- ☐ 8वीं उत्तीर्ण
- ☑ 10वीं उत्तीर्ण
- ☑ 10वीं उत्तीर्ण (विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ)
- ☐ 10वीं उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ तथा अलग-अलग न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको के साथ)
- ☐ 10वीं उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ)
- ☐ 10वीं उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत अथवा समकक्ष तथा शारीरिक दक्षता-ऊचाई 165 सेमी, वजन 52 किग्रा, सीना 81 सेमी, सामान्य, फूला हुआ 85 सेमी, तथा एम0बी0बी0एस योग्यता धारक चिकित्सक द्वारा विषय विशेष हेतु प्रदत्त चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र)|

नोट: यदि अभ्यर्थी ने CBSE बोर्ड से 10 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो CGPA कॉलम में CGPA भरें तथा उसका प्रतिशत निकालकर 100 पूर्णांक के सापेक्ष प्राप्तांक भरें|

Exam Name (परीक्षा का नाम)	Board (बोर्ड)	College/School Name (कालेज/स्कूल का नाम)	Roll No. (अनुक्रमांक)	Passing Year (उत्तीर्ण वर्ष)	Subject (विषय)	Max Marks (पूर्णांक)	Obtain Marks (प्राप्तांक)	CGPA	Grade	%
Junior High school (आठवीं)				Year					Grade	
High school or Equivalent (हाईस्कूल या समकक्ष)	UP Board	KHS School	343434343	2020	HINDI	500	280		A	56.00

20(अ). Name of Previous ITI (पिछला आईटीआई का नाम)

20(ब). Name of Previous ITI Trade (पिछला आईटीआई के व्यवसाय का नाम)

21. वरीयता-वरीयता अंक हेतु विशेष श्रेणी का चयन करें

- ☑ राज्य स्तरीय खिलाडी(राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र)

22(अ). फोटोग्राफ *

Upload

22(ब). अभ्यार्थी के हस्ताक्षर *

Upload

अधिमानित फोटो का साइज 50 केबी (.jpeg, .jpg केवल) Preferred photo size 50 KB (.jpeg, .jpg only)

Previous | SAVE AND GO TO NEXT STEP

निजी आई० टी० आई० प्रवेश 2022 हेतु ऑनलाइन आवेदन

STEP-1 | STEP-2 | STEP-3

Applicant Id:-2000010 — **Application Fee : 250/- + Transaction Charges Extra**

1.(ग्रुप का चयन अनिवार्य है, ग्रुप A,B दोनों चयन कर सकते है), इसके पश्चात जनपदों की सूची प्रदर्शित होगी , जनपद का चयन करने पर उस जनपद में संचालित आई. टी. आई. की सूची प्रदर्शित होगी, जिसमे से वांछित आई. टी. आई. का चयन किया जा सकता है।

2.आईटीआई का चयन कर के चुने बटन पर क्लिक कर के उसका चयन करे ,चयनित आईटीआई के "+" निशान पर क्लिक करने पर उसमे संचालित व्यवसाय देखे |

3. व्यवसाय के नाम पर क्लिक करके उसे चयनित व्यवसाय के बॉक्स मे जोड़े |

23. **आवेदित कोर्स ग्रुप (चयन करे)** (ग्रुप का चयन अनिवार्य है) ☑ **Group A (ग्रुप ए)** ☐ **Group B (ग्रुप बी)**

25 (अ). Group A(ग्रुप-ए)

निर्देश

1. अपनी प्राथमिकता के अनुसार नीचे बाई ओर दी गयी "आई टी आई सूची" मे आई टी आई पर क्लिक करने के पश्चात "चुने" बटन पर क्लिक करे। तदनुसार चुनी गयी आई टी आई दाई ओर "चयनित आई टी आई" बॉक्स मे प्रदर्शित होगी।
2. जिलेवार अधिकतम तीन जनपदों से अधिकतम 25 आई. टी. आई. के कितने भी व्यवसाय का चयन कर सकते है।

District One	District Two	District Three
Lucknow	Agra	Amethi

Show ITI Of Group A | Reset District

आई टी आई सूची

44-Lucknow

- Motilal Memorial Society Automobile Training Centre [1191] - Luc
- Microsoft Computer Centre Charbagh [1192] - Lucknow
- Rajkiya Private ITI (Under DHSW) [1193] Bakshi Ka Talab, Lucknow
- Multi Media Institute of Inf. Technology [1196] - Lucknow
- Holy Cross Vocational Private ITI [1197] Alambagh, Lucknow
- Unity Private ITI [1198] - Lucknow
- Indian Institute of Computer Learning [1200] - Lucknow
- M.A. Academy of Education Private ITI [1202] - Lucknow
- AwadhITI [1203] - Lucknow
- Hazrat Dawood Private ITI, Ahmedabad [1205] - Lucknow
- Unique Vocational Training Centre Shiv Nagar [1214] - Lucknow
- Unique Private ITI [1216] Indira Nagar, Lucknow
- Computer Studies of India Private ITI [1217] - Lucknow

चुनें >

< हटाए

चयनित आई टी आई सूची

"+" निशान पर क्लिक करने पर उसमे संचालित व्यवसाय देखे
व्यवसाय के नाम पर क्लिक करके उसे चयनित व्यवसाय के बॉक्स मे जोड़े |
चयनित आईटीआई को हटाने के लिए आईटीआई का चयन कर के हटाए बटन पर क्लिक करे|

- ☐ Microsoft Computer Centre Charbagh [1192] - Lucknow
  - Computer Operator and Programming Assistant (NCVT)
- ☐ Unity Private ITI [1198] - Lucknow
  - Computer Operator and Programming Assistant (NCVT)
  - Electrician (NCVT)
  - Mechanic (Refrigeration and Air-Conditioner) (NCVT)
  - Draughtsman (Civil) (NCVT)
  - Sewing Technology (NCVT)
  - Basic Cosmetology (NCVT)

निर्देश

1. व्यवसाय के नाम पर क्लिक करके उसे चयनित व्यवसाय के बॉक्स मे जोड़े |
2. चयनित व्यवसाय को हटाने के लिए व्यवसाय का चयन कर के व्यवसाय हटायें बटन पर क्लिक करे|
3.ऊपर व नीचे की दिशा वाले तीर के बटन से आप चयनित व्यवसाय का वरीयता क्रम बदल सकते है।

चयनित व्यवसाय सूची

- **1 Electrician (NCVT)**
- **2 Draughtsman (Civil) (NCVT)**

↑ ↓ व्यवसाय हटायें

Previous | Next

निजी आई० टी० आई० प्रवेश 2022 हेतु ऑनलाइन आवेदन

PREVIEW

Applicant Id:-2000010 | **Admission Type : Only For Private ITI** | **Application Fee : 250/- + Transaction Charges Extra**

1 (अ).	Name of Applicant (In English)	:	SANDEEP KUMAR	22 (अ).	
1 (ब).	अभ्यर्थी का नाम (हिंदी में)	:	संदीप कुमार		
2 (अ).	Father's Name (In English)	:	AMAR PRATAP		
2 (ब).	पिता का नाम (हिंदी में)	:	अमर प्रताप		
3 (अ).	Mother's Name (In English)	:	GEETA DEVI	22 (ब).	
3 (ब).	माता का नाम (हिंदी में)	:	गीता देवी		

4.	Spouse Name (पति या पत्नी का नाम)	:	madhu	5. Gender (लिंग)	:	Male
6.	Date of Birth (जन्म तिथि)	:	04/05/1992	7. Category (वर्ग) (EWS Status)	:	GEN (EWS- No)
8.	Sub Category (उप वर्ग)	:		9. Disability (दिव्यांगता का प्रकार)	:	
10.	Minority Category (अल्पसंख्यक श्रेणी)	:		11. Aadhar Number (आधार नंबर)	:	424234234234
12.	Mobile No. (मोबाइल नंबर १० अंक वाला)	:	6666666666	13. Email ID(ई- मेल आई-डी)	:	Sa@gamil.com
14.	Domicile (मूल निवास स्थान)	:	उत्तर प्रदेश	15. Home District (गृह जनपद)	:	Lucknow

18.	(अ). Permanent Address (स्थायी पता)	:	Aliganj lucknow	(ब).Address For Correspondence (पत्र व्यवहार का पता)	:	Aliganj lucknow
	State (प्रदेश)	:	UTTAR PRADESH	State (प्रदेश)	:	UTTAR PRADESH
	District (जनपद)	:	Lucknow	District (जनपद)	:	Lucknow
	Pin Code (पिन कोड)	:	232323	Pin Code (पिन कोड)	:	232323
	Permanent Phone Number (स्थायी फोन नंबर)	:	65234879123	Correspondence Phone Number (पत्राचार फोन नंबर)	:	65234879123

19.	Qualifying Educational Qualification (अर्हकारी शैक्षिक योग्यता)	:	10वाँ उत्तीर्ण | 10वाँ उत्तीर्ण (विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ) |

Exam Name	Board	College Name	Roll No	Passing Year	Subjects	Max Marks	Obtain Marks	CGPA	Grade	%
HighSchool	UP Board	KHS School	343434343	2020	HINDI	500	280		A	56.00

20.	(अ). Name of Previous ITI (पिछला आईटीआई का नाम)	:	(ब).	Name of Previous ITI Trade (पिछला आईटीआई के व्यवसाय का नाम)	:
21.	वरीयता राज्य स्तरीय खिलाडी(राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र)				
23.	आवेदित कोर्स ग्रुप	:	Group A		

25 (अ). Group A ITI and Trade

1. Microsoft Computer Centre Charbagh [1192] - Lucknow	1. Electrician
2. Unity Private ITI [1198] - Lucknow	2. Draughtsman (Civil)

25 (ब). Group B ITI and Trade

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन के क्रमांक 1 से 25 के अन्तर्गत दी गई समस्त सूचनायें मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा जाँच कर ली गई है किसी भी त्रुटि हेतु मै स्वयं जिम्मेदार रहुँगा/रहुँगी। यदि प्रवेश प्रक्रिया एवं उसके उपरान्त किसी भी स्तर पर मेरे द्वारा दी गई सूचनायें असत्य पाई जाती हैं तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाय एवं प्रवेश के संबंध में मेरा कोई दावा मान्य नहीं होगा।

☐ मै सहमत हूँ

Previous | Proceed to payment

अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक निर्देश

2. प्रवेश पंजीकरण शुल्क :–

(i) सामान्य/पिछड़ा वर्ग हेतु शुल्क रू0 250/–(रू0 दो सौ पचास मात्र)।

(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु शुल्क रू0 150/–(रू0 एक सौ पचास मात्र)।

आवेदक विवरण पुस्तिका में अंकित दिशा–निर्देशों को भली–भांति पढ लें एवं तदानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र निर्धारित अन्तिम तिथि तक भरे, तथा उसे Submit करें, तथा भरे आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट लेकर अपने पास सुरक्षित रखें, चयनित अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय की गयी प्रविष्टियों से सम्बन्धित शैक्षिक योग्यता, आरक्षण वर्ग एवं अधिमानी अर्हता सम्बन्धी मूल अभिलेखों का सत्यापन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय कराया जायेगा।

विशेष–ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में की गयी प्रविष्टियों में हुई कतिपय त्रुटियों के संशोधन हेतु आवेदन के उपरान्त 02 दिन (48 घण्टे) का समय दिया जायेगा।

3. आयु :–

01 अगस्त, 2022 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 31.07.2008 के बाद न हुआ हो। अभ्यर्थी की अधिकतम आयु का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं होगी।

4.स्वास्थ्य :–

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में चल रहे व्यवसायों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा शरीर में कोई ऐसी कमी नहीं होनी चाहिए जिसके फलस्वरूप वह अपने व्यवसाय की कार्यदक्षता को सम्पन्न न कर सके। दिव्यांग एवं अक्षम अभ्यर्थियों हेतु सम्पूर्ण प्रवेश क्षमता का 4% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य है। इस श्रेणी में केवल ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी अक्षमता 40% अथवा उससे अधिक हो। प्रवेश के समय अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्रमाण–पत्र जिसमें यह प्रमाणित हो कि अभ्यर्थी कम से कम 40% दिव्यांग है एवं दिव्यांगता की सुविधा प्राप्त करने का अधिकारी है, प्रस्तुत करना होगा। संस्थान में ऐसे अभ्यर्थी के प्रवेश से पूर्व पाठ्यक्रम विशेष हेतु अभ्यर्थी की उपयुक्तता का आंकलन संस्थान स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक नेत्र का बिना चश्मे या चश्मे के साथ दिन के प्रकाश में परीक्षण किये जाने पर उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। आँखों की रोशनी दोनों आँखों में 6/18 या एक आँख में 6/24 बिना चश्मे के होना चाहिए। एक आँख वाले अभ्यर्थी, जो कलर ब्लाइन्डनेस दोष से मुक्त हो, भी चयन के पात्र हैं।

5.आरक्षणः–

(i) व्यावसायिक शिक्षा एंव कौशल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन प्रदेश में स्थित समस्त राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण नवीनतम शासनादेश के अधीन निम्नवत् है–

क्र0	आरक्षित श्रेणी	अनुमन्य आरक्षण
1	अनुसूचित जाति **(S.C.)**के अभ्यर्थियों के लिए	प्रत्येक व्यवसाय की समस्त प्रवेश सीटों का **21** प्रतिशत।
2	अनुसूचित जनजाति **(S.T.)** के अभ्यर्थियों के लिए	प्रत्येक व्यवसाय की समस्त प्रवेश सीटों का **02** प्रतिशत।
3	अन्य पिछड़ा वर्ग **(O.B.C.)**के अभ्यर्थियों के लिए	प्रत्येक व्यवसाय की समस्त प्रवेश सीटों का **27** प्रतिशत।
4.	उपरोक्त क्रमांक 01, 02 व 03 से इतर श्रेणी (अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर) के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों **(EWSs)** के लिए	प्रत्येक व्यवसाय की समस्त प्रवेश सीटों का **10** प्रतिशत।

विशेषः–आर्थिक रुप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश "GENERAL EWS"

शासनादेश संख्या–67/2019/1011/89–व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0–2019–282(एम)/2012टीसी दिनांक 28 जून, 2019 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ, संस्थानों में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। अतः ऐसे अभ्यर्थी जो उपरोक्त श्रेणी के आरक्षण की पात्रता रखते हैं, वे आनलाइन आवेदन के समय चयनित कैटेगरी (वर्ग)**"GENERAL EWS"** का विकल्प भरेंगे। अतः अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे आवेदन पत्र भरते समय ही आरक्षण से सम्बन्धित नवीनतम प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी से बनवाकर अपने पास सुरक्षित रख लें, ताकि चयन होने की दशा में प्रवेश के समय उसे प्रस्तुत कर सकें ।

"GENERAL EWS" आरक्षण श्रेणी की पात्रता हेतु शर्ते

1. अभ्यर्थी ऐसी जाति से सम्बन्धित है जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है ।
2. विगत वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु 8.00 लाख(रुपये आठ लाख मात्र) से कम है तथा इनके परिवार के स्वामित्व में कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं हैः–
   - 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर ।
   - एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट ।
   - अधिसूचित नगर पालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड ।
   - अधिसूचित नगर पालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड ।

नोटः–प्रदेश सरकार द्वारा 'अनुसूचित जाति सब प्लान/स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान''(S.C.S.P./S.C.P) योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु विशेष रूप से कुल 84 राजकीय संस्थान संचालित किये जा रहे हैं।

इन राजकीय संस्थानों में वर्तमान लागू व्यवस्था के अनुसार स्वीकृत सीटों में 70 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रशिक्षणार्थियों हेतु तथा 15 प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों हेतु आरक्षित रहेंगी। जिनका विवरण **परिशिष्ट–12** पर देखें।

(ii) उक्त के अतिरिक्त निम्नांकित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सम्मुख विवरणानुसार क्षैतिज प्रकृति का आरक्षण प्रदान किया जायेगा एवं क्षैतिज आरक्षणों में से मात्र एक आरक्षण ही अभ्यर्थी ले सकेगा।

क0सं0	क्षैतिज आरक्षण हेतुश्रेणी	अनुमन्य आरक्षण
1.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों (**F.F.**) के आश्रितों (विवाहित अथवा अविवाहित पौत्र एवं पौत्री) हेतु आरक्षण ।	प्रत्येक व्यवसाय की समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम **02** प्रतिशत।
2.	उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षा कर्मियों अथवा युद्ध में मारे गये रक्षा कर्मियों अथवा उत्तर प्रदेश में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र एवं पुत्रियों हेतु आरक्षण ।	प्रत्येक व्यवसाय की समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम **05** प्रतिशत।
3.	शारीरिक रूप से दिव्यांग (निःशक्त) (**P.H.**) अभ्यर्थियों के लिए। इस श्रेणी में केवल ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी शारीरिक अक्षमता 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो। प्रवेश के समय उन्हें अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह प्रमाणित हो कि अभ्यर्थी कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांग है एवं वह दिव्यांगता की सुविधा प्रदान करने का अधिकारी है। संस्थान में ऐसे अभ्यर्थी के प्रवेश के पूर्व अभ्यर्थी की उपयुक्तता* का आंकलन संस्थान स्तर पर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ द्वारा किया जायेगा।	प्रत्येक व्यवसाय की समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम **04** प्रतिशत।
4	महिला अभ्यर्थियों हेतु संचालित विशिष्ट महिला राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों अथवा सामान्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अन्तर्गत केवल महिलाओं के लिए संचालित व्यवसायों से इतर अन्य समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण।	प्रत्येक व्यवसाय की समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम **20** प्रतिशत।

* समस्त अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं एवं दिव्यांगता के आरक्षण का लाभ चाहते हैं को सलाह दी जाती है कि वे प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा व्यवसाय विशेष हेतु सुझावित उपयुक्तता के संबंध में जारी दिशा निर्देशों की जानकारी प्रदेश में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो से प्राप्त कर सकते हैं।

6.1- वरीयता अंक–राजकीय आई0टी0आई0 में प्रवेश के लिये अभ्यर्थियों हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित वरीयता निम्नवत् हैः–

(i) राज्य स्तरीय खिलाड़ी, जिनको संबंधित स्पोर्ट्स एसोसियेशन द्वारा प्रमाण–पत्र दिया गया है, को **03** अंक वरीयता के देय हैं।

(ii) उत्तर प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निवेश नीति 2012 के दृष्टिगत प्रदेश के व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की विशेषता का लाभ उद्योगों को उपलब्ध कराने हेतु उद्योगों के कर्मचारियों/नामित व्यक्तियों को बिना प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हुए, संस्थानों के प्रशिक्षण क्षमता/उपलब्ध सीटों का **10** प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है।

उद्योगों के लिए आरक्षित **10** प्रतिशत सीटों के विरूद्ध प्रवेश न पा सकने वाले कार्मिकों को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने की छूट होगी। यदि इस प्रकार का कोई कर्मचारी प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेता है तो उसे अर्हकारी शैक्षिक योग्यता के परीक्षाफल के कुल प्राप्तांक में **05** अंक अतिरिक्त देय होंगे।

उक्तानुसार आरक्षित सीटों के विरूद्ध अथवा प्रवेश हेतु वरीयता अंक प्राप्त करने वाले संबंधित कर्मचारी/अभ्यर्थी प्रवेश के समय अपने मूल अभिलेख संबंधित संस्थान के प्रधानाचार्य को प्रस्तुत करने में यदि असमर्थ रहते हैं, तो वे प्रदत्त आरक्षण अथवा वरीयता अंक के आधार पर प्रवेश पाने के पात्र नहीं माने जायेंगे और उन्हें दी जाने वाली उपरोक्त सुविधा स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(iii) **1-** शासनादेश संख्या–4495/89–व्या0 शि0 एवं कौ0 वि0 वि0–2017–7(199)/95टीसी–(1) दिनांक –15.02.2018 में निहित व्यवस्थानुसार प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी के आश्रित पुत्र, अविवाहित अथवा विधवा पुत्री हेतु **10** अंक वरीयता के देय हैं। अभ्यर्थी यदि अर्ह है तो एक से अधिक वरीयता श्रेणी का चुनाव कर सकता है।

2- राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद में कार्यरत कर्मचारी के आश्रित पुत्र, अविवाहित अथवा विधवा पुत्री हेतु **05** अंक वरीयता के देय हैं। अभ्यर्थी यदि अर्ह है तो एक से अधिक वरीयता श्रेणी का चुनाव कर सकता है।

नोटः **प्रदेश के उद्योगो में कार्यरत कर्मचारियों/नामित व्यक्तियों को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (सामान्य संस्थान एवं पी0पी0पी0 योजना अन्तर्गत आच्छादित संस्थान) में प्रवेश हेतु नीतिः–**

प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उद्योगों के कार्यरत कर्मचारियों/नामित व्यक्तियों को प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–5080/89–व्या0 शि0 एवं कौ0वि0वि0–का–2014–90(एम.)/2012 दिनांक–04.02.2015 में निहित व्यवस्थानुसार प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु उपलब्ध सीटों में उद्योगों में कार्यरत/नामित व्यक्तियों हेतु पात्रता निम्नवत् निर्धारित की गयी है :–

- आवेदक कारखाना अधिनियम–1948 के अन्तर्गत पंजीकृत उद्योगों में पूर्णकालिक रूप से कम से कम दो वर्ष से उस उद्योग में कार्यरत हो।
- आवेदक के पास उद्योग द्वारा नामित किये जाने का प्रदत्त प्रमाण पत्र हो।
- आवेदक के पास उद्योग में कम से कम **02** वर्ष की पूर्ण कालिक सेवा के वेतन भुगतान सम्बन्धी औचित्यपूर्ण प्रमाण की उपलब्धता/प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- आवेदक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित शिल्पकार प्रशिक्षण योजनान्तर्गत चिन्हित व्यवसायों में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रवेश अर्हता पूर्ण करता हो।
- प्रदेश स्तर पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में लागू आरक्षण व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।
- नामांकित आवेदक अभ्यर्थियों की अधिक संख्या होने की स्थिति में अधिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को वरीयता प्रदान की जायेगी।

भारत सरकार सहायतित पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (पी0पी0पी0) योजना से आच्छादित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आई0एम0सी0 को **20** प्रतिशत सीटों पर प्रवेश का

अधिकार एवं इसके माध्यम से उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों/नामित व्यक्तियों को प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्याः 5160/89–व्या0 शि0 एवं कौ0वि0वि0–2014–125 (बी)/1987टी.सी.दिनांक–04.02.2015 एवं शासनादेश संख्याः208/2015/3993/89–व्या0शि0 एवं कौ0वि0वि0–2015–125(बी)/1987टीसी दिनांक–24.11.2015 द्वारा निम्न व्यवस्था प्रदान की गयी हैः–

- **भारत सरकार सहायतित पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (पी0पी0पी0) योजना से आच्छादित प्रदेश के 115 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में गठित इंस्टीट्यूट मैनेजमेन्ट कमेटी (आई0एम0सी0) को संस्थान में संचालित व्यवसायों की समस्त सीटों में से 20 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश करने का अधिकार होगा।**
- पी0पी0पी0 योजना से आच्छादित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु उद्योगों के नामित कर्मचारियों/नामित व्यक्तियों को प्रशिक्षण क्षमता/उपलब्ध सीटों का 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण संस्थान में गठित आई0एम0सी0 के माध्यम से प्रदान किया जायेगा। इस हेतु आई0एम0सी0 द्वारा अपने 20 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत उद्योगों द्वारा नामित कर्मचारियों हेतु निर्धारित 10 प्रतिशत की सीमा को समायोजित किया जायेगा।
- यदि प्रवेश की प्रथम चरण की काउन्सिलिंग के उपरान्त उद्योगों द्वारा नामित एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु चयनित कर्मचारियों द्वारा प्रवेश नहीं लिया जाता है, तो इस प्रकार रिक्त रह गयी सीटों पर प्रवेश करने का अधिकार राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश को होगा।

6.2 - वरीयता अंक–निजी आई0टी0आई0 में प्रवेश के लिये अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित वरीयता निम्नवत् हैः–

(i) राज्य स्तरीय खिलाड़ी, जिनको संबंधित स्पोर्ट्स एसोसियेशन द्वारा प्रमाण–पत्र दिया गया है, को **03** अंक वरीयता के देय हैं।

7. प्रदेश में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित दोनों प्रकार के व्यवसाय यथा प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन गठित राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन0सी0वी0टी0) से सम्बन्धन प्राप्त व्यवसाय एवं राज्य सरकार की राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एस0सी0वी0टी0) के अधीन संचालित व्यवसाय प्रवेश हेतु उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों को एन0सी0वी0टी0 पाठ्यक्रम पर आधारित व्यवसायों तथा एस0सी0वी0टी0 पाठ्यक्रम पर आधारित व्यवसायों में प्रवेश हेतु दोनों के लिए पृथक–पृथक ऑन–लाइन आवेदन–पत्र नहीं भरना होगा। ऑन लाइन आवेदन के अन्तर्गत दोनो ही प्रकार के विकल्प उपलब्ध होंगे।

8. समस्त अभ्यर्थी विवरण पुस्तिका को भली–भाँति पढ़कर स्पष्ट रूप से ऑन–लाइन आवेदन–पत्र भरें। त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण भरे गये ऑन–लाइन आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। ऐसे त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण ऑन लाइन आवेदन हेतु राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

9. पोर्टल पर ऑन लाइन आवेदन भरने के उपरान्त submit किये गये आवेदन पत्रों में राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के निर्देश से इतर किसी प्रकार का संशोधन अनुमन्य नहीं होगा।

10. ऑन लाइन आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर अपलोड किये गये फोटो की चार प्रतियॉ प्रवेश के समय यथा आवश्यकता उपयोग हेतु अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें।

11. ऑन–लाइन भरे गये आवेदन के प्रिन्टआउट की एक प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें।

12 (A) सीट आवंटन प्रक्रिया (राजकीय संस्थानों हेतु)–

आगामी प्रशिक्षण सत्र–2022 हेतु शासनादेश संख्या–4784/89–व्या0शि0 एवं कौ0वि0–2013–125(बी)/1987टीसी दिनांक 26.12.2013 में की गई व्यवस्था के अनुसार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्थानीय नवयुवकों को प्रवेश में प्राथमिकता देने के दृष्टिगत संबंधित जनपद में व्यवसायवार सीटों को 25–25 प्रतिशत क्रमशः विकासखण्ड, तहसील, जनपद तथा प्रदेश स्तर पर पूल करते हुये निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः–

12.1 जनपदों में व्यवसायवार सीटों को 25–25 प्रतिशत क्रमशः विकास खण्ड, तहसील, जनपद तथा प्रदेश स्तर पर पूल करते हुये उपलब्ध सीटों पर नियमानुसार लम्बवत एवं क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

12.2 विकास खण्ड स्तर पर पूल की गयी सीटों के सापेक्ष आवेदनकर्ता अभ्यर्थी ने जिस विकास खण्ड से शैक्षिक अर्हता प्राप्त की है उसे वहां का निवासी माना जायेगा। इसके अतिरिक्त जो अभ्यर्थी वहां के निवासी हैं, पर उन्होंने अन्यत्र शिक्षा प्राप्त की है, को जिलाधिकारी से प्राप्त निवास प्रमाण–पत्र के आधार पर प्रवेश हेतु

उपयुक्त माना जायेगा। प्रवेश के समय अन्य शैक्षणिक आरक्षण आदि प्रमाण पत्रों के साथ उनका भी परीक्षण किया जायेगा। अभ्यर्थियों को निम्नानुसार आवेदन एवं विकल्प के अवसर होंगेः–

12.3 उक्त वर्णित चार स्तरीय विकल्प प्राप्त करने हेतु आवेदन–पत्र आमंत्रित करने के लिए ऑनलाईन प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

12.4 अभ्यर्थी को उसके गृह जनपद के लिए पंजीकृत माना जायेगा।

12.5 विकास खण्ड, तहसील तथा जनपद स्तर पर संस्थानवार, व्यवसायवार आरक्षण के आधार पर सीटों की संख्या ऑनलाईन उपलब्ध रहेगी।

12.6 अभ्यर्थी के व्यवसाय के विकल्प को प्राथमिकता दी जायेगी। अभ्यर्थी सबसे पहले जिस व्यवसाय का विकल्प देगा उसे उसके द्वारा विकल्पित संस्थानों में वरीयता के अनुसार उसे सीट आवंटित की जायेगी।

12.7 अभ्यर्थी को मांगे गये व्यवसायों के विकल्प में पहले एन0सी0वी0टी0 पाठ्यक्रम में वरीयता दी जायेगी तत्पश्चात् एस0सी0वी0टी0 ट्रेड में सीट आवंटित की जायेगी।

12.8 प्रवेश के लिए अभ्यर्थी द्वारा प्रदेश के किन्हीं 03 जनपदों में अधिकतम कुल 06 संस्थानों के विकल्प दिये जा सकेंगे। अभ्यर्थी द्वारा ग्रुप–ए एवं ग्रुप–बी के पाठ्यक्रमों के लिए अलग–अलग 10–10 व्यवसायों का वरीयता क्रम में विकल्प दिया जा सकता है। सीट आवंटन हेतु ग्रुप–ए एवं ग्रुप–बी के लिए प्रदेश स्तरीय मेरिट लिस्ट अलग–अलग तैयार की जायेगी।

12.9 ग्रुप–ए की चयन सूची को पहले तैयार किया जायेगा। यदि किसी अभ्यर्थी को ग्रुप–ए में सीट आवंटित हो जाती है, तो उसे ग्रुप–बी हेतु चयन के लिये विचार नहीं किया जायेगा।

12 (B).सीट आवंटन प्रक्रिया (निजी संस्थानों हेतु)–

12.1 जनपद स्तर पर संस्थानवार, व्यवसायवार सीटों की संख्या ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगी।

12.2 अभ्यर्थी के व्यवसाय के विकल्प को प्राथमिकता दी जाएगी। अभ्यर्थी सबसे पहले जिस व्यवसाय का विकल्प देगा, उसे उसके द्वारा विकल्पित संस्थानों में वरीयता के अनुसार उसे सीट आवंटित की जाएगी।

12.3 प्रवेश के लिए अभ्यर्थी द्वारा प्रदेश के किन्हीं 03 जनपदों में अधिकतम कुल 25 संस्थानों के विकल्पदिए जा सकेंगे। अभ्यर्थी द्वारा ग्रुप–ए एवं ग्रुप–बी के व्यवसायों के लिए अलग–अलग वरीयता क्रम में विकल्प दिया जा सकता है। सीट आवंटन हेतु ग्रुप–ए एवं ग्रुप–बी के लिए प्रदेश स्तरीय मेरिट लिस्ट अलग– अलग तैयार की जाएगी।

12.4 ग्रुप–ए की चयन सूची को पहले तैयार किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी को ग्रुप–ए में सीट आवंटित हो जाती है, तो उसे ग्रुप–बी हेतु चयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

13. व्यवसाय हेतु निर्धारित अर्हकारी शैक्षिक योग्यताः–

प्रदेश में संचालित राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, उनमें उपलब्ध व्यवसायों तथा व्यवसायों में प्रवेश हेतु अर्हकारी शैक्षिक योग्यता का विवरण परिशिष्ट **02 से 10** पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी जिस व्यवसाय की अर्हकारी शैक्षिक योग्यता नही रखता होगा, वह उस व्यवसाय के चयन हेतु आवेदन नहीं कर सकता।

14. अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे राजकीय संस्थान में चल रहे व्यवसायों में से ज्यादा से ज्यादा व्यवसायों (किन्तु अधिकतम 10) तथा निजी संस्थानों में चल रहे व्यवसायों में से ज्यादा से ज्यादा व्यवसायों (किन्तु अधिकतम 25) का विकल्प आवेदन पत्र में भरें, जिससे कि उनकी योग्यता के आधार पर उनका चयन हो सके।

15. अभ्यर्थी का चयन अर्हकारी शैक्षिक योग्यता के परीक्षाफल के प्राप्तांक(वरीयता अंक यदि कोई हो को जोड़ते हुये) के अनुसार श्रेष्ठता के आधार पर किया जायेगा।

शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी विभिन्न परिषदों के परीक्षाफल में पूर्णांक अलग–अलग हैं। अतएव अभ्यर्थी को उपरोक्त वर्णित वरीयता अंक जोडने हेतु पूर्णांक 600 के अनुपातिक अंक के सापेक्ष प्राप्तांक का आधार माना जायेगा।

यदि दो अभ्यर्थियों के अर्हकारी शैक्षिक योग्यता के प्राप्तांक समान होते हैं तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को चयन में वरीयता प्रदान की जायेगी। यदि दो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं आयु भी समान हों तो उस अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जायेगी जिसने आवेदन पहले Submit किया है।

16. ग्रुप 'ए' एवं 'बी' के अन्तर्गत पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में निर्देश

प्रत्येक अभ्यर्थी के पास ग्रुप–ए एवं ग्रुप–बी के अन्तर्गत पाठ्यक्रमों में उपलब्ध व्यवसायों हेतु निम्नलिखित तीन विकल्प उपलब्ध हैं–

1. राजकीय संस्थानों हेतु अभ्यर्थी ग्रुप–ए में उपलब्ध व्यवसायों में से अधिकतम किन्हीं 10 व्यवसायों कातथा निजी संस्थानो हेतु अधिकतम किन्हीं 25 व्यवसायों काविकल्प दे सकता है।

अथवा

2. राजकीय संस्थानों हेतुअभ्यर्थी ग्रुप–बी में उपलब्ध व्यवसायों में से अधिकतम किन्हीं 10 व्यवसायों तथा निजी संस्थानों हेतु किन्हीं 25 व्यवसायोंका विकल्प दे सकता है।

अथवा

3. राजकीय संस्थानों हेतुअभ्यर्थी ग्रुप–ए एवं ग्रुप–बी दोनों में उपलब्ध व्यवसायों के क्रमशः 10–10एवं निजी संस्थानों हेतु 25–25 व्यवसायों काविकल्प दे सकता है।
4. ग्रुप–ए एवं ग्रुप–बी दोनों ग्रुप की मेरिट उनके शैक्षिक योग्यता के परीक्षाफल के प्राप्तांक (तथा अनुमन्य वरीयता अंक, यदि कोई हो, को जोड़ते हुये) के आधार पर अलग–अलग बनेंगी। परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी को ग्रुप–ए में सीट आवंटित हो जाती है तो उसे ग्रुप–बी के लिये विचार नहीं किया जायेगा।

17 (A).छः (6) राजकीय संस्थानों का विकल्प

1. अभ्यर्थी यदि गृह विकास खण्ड का स्थानीय आरक्षण प्राप्त करना चाहता है तो उसे विकास खण्ड के विकल्प का चयन करने पर अपने गृह विकास खण्ड में संचालित आई0टी0आई0 की सूची दिखाई पड़ेगी। उस आई0टी0आई0 में चलने वाले व्यवसाय (एन0सी0वी0टी0 एवं एस0सी0वी0टी0) दिखाई पड़ेगे। उसे अपने इच्छित व्यवसायों के विकल्प चयन करने होंगे।

   उदाहरणार्थ–यदि उसने विकास खण्ड की किसी आई0टी0आई0 में फिटर व्यवसाय का विकल्प भर दिया है तो उसके द्वारा चयन करने वाले 10 व्यवसायों के विकल्प में से एक विकल्प फिटर अंकित हो जायेगा। उसे आगे भरने वाले सभी 05 संस्थानों में फिटर व्यवसाय (यदि संचालित है) का विकल्प प्राप्त हो जायेगा।
2. अभ्यर्थी यदि गृह तहसील का स्थानीय आरक्षण प्राप्त करना चाहता है तो उसे तहसील के विकल्प का चयन करने पर अपने गृह तहसील में संचालित आई0टी0आई0 की सूची दिखाई पड़ेगी। उस आई0टी0आई0 में चलने वाले व्यवसाय (एन0सी0वी0टी0 एवं एस0सी0वी0टी0) दिखाई पड़ेगे। उसे अपने इच्छित व्यवसायों के विकल्प चयन करने होंगे।
3. अभ्यर्थी यदि गृह जनपद का स्थानीय आरक्षण प्राप्त करना चाहता है तो उसे जनपद के विकल्प का चयन करने पर अपने गृह जनपद में संचालित आई0टी0आई0 की सूची दिखाई पड़ेगी। सूची में प्रदर्शित आई0टी0आई0 का विकल्प भरेगा। तत्पश्चात् उक्त आई0टी0आई0 में चलने वाले व्यवसाय (एन0सी0वी0टी0 एवं एस0सी0वी0टी0) दिखाई पड़ेगे। उसे अपने इच्छित व्यवसायों के विकल्प चयन करने होंगे।
4. प्रदेश स्तर का चयन करने पर उसे प्रदेश में स्थित सभी आई0टी0आई0 दिखाई पड़ेगी। वह किन्हीं तीन जिलों के अधिकतम छः संस्थानों (उसके द्वारा विकास खण्ड स्तर, तहसील स्तर व जनपद स्तर के चयनित सभी विकल्पों को सम्मिलित करते हुए) का विकल्प भर सकता है।

   जैसे–अभ्यर्थी जनपद लखनऊ स्थित आई.टी.आई. अलीगंज का पहला विकल्प भरने के बाद इलाहाबाद, वाराणसी अथवा किसी अन्य जनपद में स्थित आई.टी.आई. को क्रमशः दूसरे व तीसरे विकल्प के रूप में भर सकता है।

17 (B). पच्चीस (25) निजी संस्थानों का विकल्प

1. अभ्यर्थी को जनपद के विकल्प का चयन करने पर जनपद में संचालित आई0टी0आई0 की सूची दिखाई पड़ेगी। सूची में प्रदर्शित आई0टी0आई0 का चयन करेगा। तत्पश्चात् उक्त आई0टी0आई0 में चलने वाले व्यवसाय दिखाई पड़ेंगे। उसे अपने इच्छित व्यवसायों के विकल्प चयन करने होंगे।

   उदाहरणार्थ :–यदि उसने जनपद की किसी आई0टी0आई0 में फिटर व्यवसाय का विकल्प भर दिया है,तो उसके द्वारा चयन करने वाले व्यवसायों के विकल्प में से एक विकल्प फिटर अंकित हो जाएगा। उसे आगे भरने वाले सभी 25 संस्थानों में फिटर व्यवसाय (यदि संचालित है) का विकल्प प्राप्त हो जाएगा।
2. अभ्यर्थी किन्हीं तीन जिलों के अधिकतम पच्चीस संस्थानों का विकल्प भर सकता है।

   जैसेः– अभ्यर्थी जनपद लखनऊ स्थित किसी निजी आई0टी0आई0 का पहला विकल्प भरने के बाद इलाहाबाद, वाराणसी अथवा किसी अन्य जनपद में स्थित आई0टी0आई को क्रमशः दूसरे विकल्प के रूप में भर सकता है।

18. प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अनुमन्य विभिन्न व्यवसायों की न्यूनतम अर्हकारी शैक्षिक योग्यता, प्रशिक्षण अवधि, शैक्षिक योग्यता कोड तथा व्यवसायों का संक्षिप्त परिचय का ब्यौरा मार्ग दर्शन हेतु **परिशिष्ट (2 से 10)** पर उपलब्ध है, तथा जनपदों में चल रहे राजकीय सस्थानवार, व्यवसायों का विवरण मार्ग दर्शन हेतु एन.सी.वी.टी. पाठय्क्रम के अन्तर्गत **परिशिष्ट (13 एवं 14)** पर उपलब्ध हैं, जिसमें प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन किये जाने पर तदानुसार चयनित अभ्यर्थी को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। एस.सी.वी.टी. पाठय्क्रम के अन्तर्गत **परिशिष्ट (15 एवं 16)** पर उपलब्ध हैं तथा निजी संस्थानवार व्यवसाय का विवरण मार्गदर्शन हेतु एन0सी0वी0टी0 पाठ्यक्रम के अन्तर्गत **परिशिष्ट (17)** पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी ऑन–लाइन आवेदन–पत्र में व्यवसाय का विकल्प चयन करने के पूर्व इसको अवश्य देख लें।

विशेष–<u>महत्वपूर्ण निर्देश समस्त आवेदक/सम्बन्धित प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान विशेष ध्यान दें:–</u>

<u>ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग (डी0एस0टी0) के अन्तर्गत प्रवेश/प्रशिक्षण के सम्बन्ध में</u>

ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत संचालित व्यवसायों की सीटों का विवरण व्यवसायवार, एककवार **परिशिष्ट-14** में प्रदर्शित है , जिसके अनुसार प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जानी है।

ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अन्तर्गत आवेदित व्यवसाय में प्रवेशित अभ्यर्थी को आई0टी0आई0 एवं उद्योग के माध्यम से उच्च सेवायोजकता का प्रशिक्षण प्रदान कराया जाता है। इस हेतु संस्थान एवं उद्योग के मध्य अनुबन्ध किया जाता है, जिसके अन्तर्गत एक वर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु 03 से 06 माह का प्रयोगात्मक प्रशिक्षण तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु 06 से 12 माह का प्रयोगात्मक प्रशिक्षण उद्योगों के माध्यम से प्रदान कराया जाता है। अवशेष अवधि का प्रशिक्षण आई0टी0आई0 में प्रदान कराया जाता है। प्रशिक्षण पूर्ण करने तथा अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त प्रशिक्षार्थी को सम्बन्धित व्यवसाय का राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

पी0पी0पी0 मॉडल पर संचालित संस्थानों में प्रशिक्षण के सम्बन्ध मे:-

पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी.पी.पी) के अंतर्गत निजी क्षेत्र के वेण्डर द्वारा संचालित किये जाने वाले राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों राजातालाब-वाराणसी, पाली-ललितपुर तथा पटियाली, कासगंज में व्यवसायवार, एककवार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए लागू शुल्क वाली तथा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए लागू शुल्क वाली सीटों का विवरण **परिशिष्ट-16** पर प्रदर्शित किया गया है।

इन संस्थानों में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के शुल्क वाली सीटों पर राजकीय संस्थान की भाँति शुल्क तथा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों वाली सीटों पर निजी संस्थान की भाँति शुल्क की व्यवस्था लागू है तथा इन संस्थानों में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के शुल्क वाली सीटों पर राजकीय संस्थान के लिए लागू सभी नियम एवं शर्तों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी तथा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के शुल्क वाली सीटों पर निजी संस्थान के लिए लागू सभी नियम एवं शर्तों के अधीन प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।

20. महिला अभ्यर्थियों के आवेदन के सम्बन्ध में:–

1. महिलाओं के लिए विशेष रूप से संचालित बारह (12) महिला राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में केवल महिला अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
2. सामान्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अन्तर्गत महिलाओं के लिए संचालित व्यवसायों में केवल महिला अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जायेगा। तत्संबंधी विवरण **परिशिष्ट** (**4,5 व 9**) पर अंकित है।
3. उक्त से इतर अन्य समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में तथा समस्त निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए बीस प्रतिशत (20%) सीटें क्षैतिज रूप से आरक्षित रहेंगी।

21. अभ्यर्थियों द्वारा अर्हकारी शैक्षिक योग्यता के परीक्षाफल में प्राप्त अंकों एवं वरीयता अंक के आधार पर ग्रुप–ए एवं ग्रुप–बी की अलग–अलग व्यवसायवार श्रेष्ठता सूची (Merit List) तैयार की जाएगी। ग्रुप 'ए' एवं ग्रुप 'बी' के लिये व्यवसाय आवंटन की कार्यवाही अलग–अलग की जायेगी।

प्रदेश के राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के वेण्डर द्वारा संचालित किये जाने वाले राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आगामी सत्र–2022 हेतु प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्याः 63/2022/ 1020/89–व्या0शि0एवं

कौ0वि0वि0–2022–125(बी)/87 दिनांक 06.06.2022 के अनुसार प्रवेश अर्हकारी शैक्षिक योग्यता की मेरिट के आधार पर किया जाएगा व अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में व्यवसाय एवं संस्थान के चुनाव का सीधा अवसर प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए सत्र–2022 से प्रारम्भ होने वाले सत्र के लिए प्रदेश के राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु निम्नानुसार प्रवेश प्रकिया निर्धारित है :–

(अ) <u>राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया एवं सामान्य सिद्धान्तः–</u>

(1) ऑनलाईन आवेदन करते समय अभ्यर्थी को यह विकल्प होगा कि वह केवल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु आवेदन करें या निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु आवेदन करें या राजकीय एवं निजी दोनों औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु आवेदन करें। आवेदन की प्रत्येक दशा में पंजीकरण शुल्क वर्ग के अनुसार एक ही बार देय होगी। ऑनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थी को अपना व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक, आरक्षण वर्ग एवं अधिमानी अर्हताओं सम्बन्धी सूचनाएं आदि पंजीकृत करानी होगी, तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को अपने निवास प्रमाण–पत्र के अनुसार ब्लाक, तहसील, जनपद अथवा राज्य स्तर के आरक्षण की सहमति का भी विकल्प प्रदान किया जायेगा।

(2) ऑनलाईन आवेदन के समय किसी भी अभ्यर्थी द्वारा ग्रुप ''ए'' एवं ''बी'' राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु वरीयता क्रम में अधिकतम 10 व्यवसायों का विकल्प योजित किया जा सकेगा तथा इन व्यवसाय विकल्प हेतु वह किन्ही 03 जनपदों के अधिकतम 06 संस्थानों का विकल्प दे सकेगा तथा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु वह 03 जनपदों के अधिकतम 25 संस्थानों का विकल्प दे सकेगा।

(3) चयनित अभ्यर्थी द्वारा ऑन लाईन आवेदन के समय की गयी प्रविष्टियों से सम्बन्धित शैक्षिक योग्यता, आरक्षण वर्ग एवं अधिमानी अर्हता सम्बन्धी मूल अभिलेखों का सत्यापन राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रवेश के समय कराया जायेगा।

(4) ऑनलाइन आवेदन हेतु कम से कम 25 कार्य दिवस का समय प्रदान किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में की गयी प्रविष्टियों में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु आवेदन की अन्तिम तिथि के उपरान्त 02 दिन का अतिरिक्त समय दिया जायेगा।

(5) अभ्यर्थियों द्वारा ऑन लाईन आवेदन पत्र में शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी परीक्षा के सभी विषयों के प्राप्तांकों के योग का प्रतिशत/(सी0जी0पी0ए0 को प्रतिशत में बदल कर) अंकित करना होगा।

(6) राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ें वर्गो के लिये आरक्षण तथा क्षैतिज प्रकृति के आरक्षण की व्यवस्था शासनादेश संख्या–शासनादेश संख्या–67/2019/1011/89–व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0–2019–282(एम)/2012 टीसी दिनांक 28 जून, 2019 के अनुसार प्रभावी होगी तथा विकास खण्ड, तहसील, जनपद एवं राज्य स्तर पर अभ्यर्थियों को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु आरक्षण की व्यवस्था शासनादेश संख्या–3947(2)/89–व्या0 शि0कौ0वि0वि0–2013–125(बी)/87 टीसी लखनऊ दिनांक–30 अक्टूबर, 2013 के अनुसार प्रभावी हेागी।

(7) राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री को प्रवेश में वरीयता शासनादेश संख्या–4495/89–व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0–2017–7 (199) /95 टीसी(प) लखनऊ दिनांक–15 फरवरी, 2018 के अनुसार प्रभावी होगी।

(8) राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिये अभ्यर्थियों हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित वरीयता राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को वरीयता के 03 अंक देय होंगे। प्रतिबन्ध यह है कि उनके पास सम्बन्धित स्पोर्ट्स एशोसिएशन द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र हो।

(9) उद्योगो द्वारा नामित कार्यरत कर्मचारियों हेतु राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं भारत सरकार द्वारा सहायतित पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप योजना से अच्छादित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आई0एम0सी0 के कोटे के अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु शासनादेश संख्या–5160/ 89–व्या0 शि0 एवं कौ0 वि0 वि0–2014–125(बी)/1987 टी सी लखनऊ दिनांक–04.02.2015 एवं शासनादेश संख्या–208/2015/ 3993/89–व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0–2015–125 (बी)/1987 टीसी लखनऊ दिनांक–24.11.2015 द्वारा स्थापित व्यवस्था पूर्ववत लागू रहेगी।

(10) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ें वर्गो के लिये आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं है, को शासनादेश के अनुसार 10 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

(11) राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिये पृथक–पृथक अर्हकारी योग्यता के आधार पर ग्रुप ''ए'' एवं ''बी'' के लिये रैंक/मेरिट सूची तैयार की जायेगी।

(12) सीट आवंटन (चार चरणों में) पूर्ण किया जायेगा, जिसमें से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में सीट आवंटन प्रदेश स्तरीय अर्हकारी शैक्षिक योग्यता की मेरिट के आधार पर तथा चतुर्थ चरण में सीट आवंटन जनपद/संस्थान स्तर पर अर्हकारी शैक्षिक योग्यता की मेरिट के आधार पर किया जायेगा।

(13) निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में किसी चरण में रिक्त सीटों के विरूद्ध व्यवसाय/संस्थान के उच्चीकृत विकल्प को दिये जाने हेतु ''फ्रीज/फ्लोट'' की व्यवस्था एवं स्थानीय आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होगी।

(14) जिन निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु किसी चरण में विकल्प दिये हुये अभ्यर्थी किसी भी व्यवसाय में प्रवेश लेने हेतु उपलब्ध नहीं है तो उक्त चरण से ही चतुर्थ चरण में दी गयी व्यवस्था के अनुसार रिक्त सीटों के सापेक्ष आरक्षण की व्यवस्था को शिथिल रखते हुये निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को यह सुविधा प्राप्त होगी कि वह पोर्टल के बाहर के योग्यता धारक अभ्यर्थियों में से अपने संस्थान हेतु रिक्त सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण कर लें तथा अभ्यर्थियों को पोर्टल पर फार्म भरवाकर ऑनलाईन प्रवेश पंजीकरण शुल्क जमा करते हुये प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण कर लें।

(15) आरक्षण एवं प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी नवीनतम् शासनादेश ही प्रभावी होंगे।

(3) **<u>अर्हकारी शैक्षिक योग्यता के प्राप्तांक की मेरिट के आधार पर प्रथम चरण में ऑनलाईन सीटों का आवंटन।</u>**

विशेष –<u>महत्वपूर्ण निर्देश समस्त आवेदक/प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान विशेष ध्यान दें:–</u>

चयन परिणाम परिषद की वेबसाइट www.scvtup.in पर प्रदर्शित किया जायेगा। अभ्यर्थी को चयनित संस्थान/व्यवसाय में प्रवेश का अवसर प्रदान किया जायेगा। चयनित अभ्यर्थी को बुलावा–पत्र www.scvtup.in पर जारी किया जायेगा, जिसमें चयन हुए पाठ्यक्रम/ व्यवसाय/संस्थान आदि का उल्लेख होगा। चयनित अभ्यर्थियो को उनके संबंधित व्यवसायो के लिये अर्हकारी शैक्षिक योग्यता में प्राप्त अंको की मेरिट के आधार पर पाठ्यक्रम/व्यवसाय/संस्थान में चयन किया गया है, एवं मेरिट के ही आधार पर यह संभव है कि अभ्यर्थी को उच्चतर विकल्प के पाठ्यक्रम/व्यवसाय/संस्थान न प्राप्त हुए हो इसके लिये क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय चरण के प्रवेश समाप्त होने के उपरान्त अवशेष पाठ्यक्रम/व्यवसाय /संस्थान की सीटो पर प्रवेशित प्रशिक्षार्थियो को अपग्रेड करके उच्चतर विकल्प के पाठ्यक्रम/ व्यवसाय/संस्थान में अवसर दिये जाने की व्यवस्था है, जिसके लिए अपग्रेडेशन प्रक्रिया में भाग लेने की स्थिति के अनुसार **Freeze** (स्थिर) एवं **Float** (विस्थापित) का विकल्प भी मुद्रित होगा। अभ्यर्थी को संस्थान में प्रवेश के समय उपरोक्त दोनों विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करते हुए प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करानी होगी। अभ्यर्थी यदि **Freeze** (स्थिर) विकल्प का चयन करता है तो वह अग्रेतर अपग्रेडेशन प्रक्रिया में सम्मिलित नही किया जायेगा। अभ्यर्थी यदि **Float** (विस्थापित) विकल्प का चयन करता है तो अपग्रेडेशन प्रक्रिया के अन्तर्गत अभ्यर्थी के पाठ्यक्रम/व्यवसाय/संस्थान के उच्चतर विकल्पों में सीट रिक्त होने की स्थिति में उसे उक्त का लाभ प्रदान किया जायेगा। उपरोक्त **Freeze** (स्थिर) एवं **Float** (विस्थापित) की कार्यवाही प्रथम एवं द्वितीय चरण पर प्रभावी रहेगी।

(1) परिषद द्वारा आरक्षण नियमों को ध्यान में रखते हुए राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु संस्थानवार, व्यवसायवार, पाठ्यक्रमवार एवं वर्गवार सीटों का विवरण तैयार कराया जायेगा, जिसके सापेक्ष सीटों का आवंटन होगा तथा अभ्यर्थियों के बुलावा पत्र पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में तथा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में (जैसा उसने आवेदन किया है) उसके ग्रुप ''ए'' व ग्रुप ''बी'' के रैंक प्रदर्शित होंगे।

(2) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (दोनों) में प्रवेश हेतु आवेदन किया है तथा उसे राजकीय/ निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दोनों में प्रवेश का अवसर प्राप्त हो जाता है तो वह पहला प्रवेश जिस संस्थान में ले लेगा वही उसका अंतिम प्रवेश माना जायेगा तथा दूसरे संस्थान में उसका हुआ चयन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(3) प्रदेश के राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ग्रुप ''ए'' व ग्रुप ''बी'' पाठ्यक्रम के लिए प्रदेश स्तरीय मेरिट लिस्ट अलग–अलग तैयार की जायेगी तथा ग्रुपवार आवंटन की कार्यवाही अलग–अलग की जायेगी। किसी अभ्यर्थी को ग्रुप–ए में यदि कोई सीट आवंटित हो जाती है, तो उसे ग्रुप–बी हेतु विचार नहीं किया जायेगा।

(4) प्रदेश के राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रथम चरण में किसी भी ग्रुप में सीटों के आवंटन की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए उक्त ग्रुप की वरीयता सूची के क्रम में अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की जायेगी। प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए उसके द्वारा अंकित प्रथम वरीयता के व्यवसाय के लिए यह परीक्षण किया

जायेगा कि क्या उसके मेरिट एवं आरक्षण वर्ग के आधार पर उसके द्वारा वरीयता क्रम में चिन्हित संस्थानों में से किसी भी संस्थान में एन0सी0वी0टी0 से सम्बद्ध सीट आवंटित की जा सकती है। यदि ऐसा नहीं है, तो उसके द्वारा वरीयता क्रम में चिन्हित् अगले व्यवसाय के लिए यही प्रक्रिया दोहराई जायेगी, जब तक उसके द्वारा चिन्हित् समस्त व्यवसायों एवं संस्थानों में एन0सी0वी0टी0 सम्बद्धता प्राप्त कोई सीट उपलब्ध न रहे। यदि उसे एन0सी0वी0टी0 से सम्बद्ध कोई सीट प्राप्त नहीं होती है, तो उसे आवेदन के अनुसार पुनः उसके द्वारा चिन्हित् प्रथम वरीयता के व्यवसाय के लिए वरीयता क्रम में चिन्हित् संस्थानों में एस0सी0वी0टी0 (राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों) की सीट आवंटित करने का प्रयास किया जायेगा और यह प्रक्रिया उसके द्वारा वरीयता क्रम में चिन्हित समस्त व्यवसायों के लिए तब तक चलायी जायेगी जब तक या तो उसे कोई सीट आवंटित न हो जाय अथवा उसके द्वारा चिन्हित व्यवसायों एवं संस्थानों में कोई सीट उपलब्ध न बचे।

(5) तत्पश्चात अगली वरीयता क्रम के अभ्यर्थी के लिए यही प्रक्रिया दोहराई जायेगी और इसी क्रम में समस्त अभ्यर्थियों के लिए इस प्रक्रिया का पालन करते हुए सीटों का आवंटन किया जायेगा जब तक कि समस्त उपलब्ध सीटें आवंटित नहीं हो जाती।

(6) अभ्यर्थी द्वारा पंजीकृत किये गये व्यवसाय एवं संस्थानों के विकल्प के आधार पर सीट आवंटन के चयन का परिणाम परिषद स्तर से परीक्षण समिति गठित कर उसकी संस्तुति के आधार पर आगामी 03 दिवसों में तैयार कराकर परिषद की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा, तथा चयनित अभ्यर्थियों को उनके Mobile पर Message के द्वारा भी सूचना भेजी जाएगी। उक्त आशय की मात्र विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित व्यवसाय/संस्थान में प्रवेश लेने के लिए 06 कार्य दिवसों का समय प्रदान किया जायेगा।

(7) **यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में प्रवेश नहीं लेता है, तो उसका आवंटन रद्द माना जायेगा, तथा आगामी प्रक्रिया में उसे बाहर रखा जायेगा।**

(8) जिन निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु इस चरण में विकल्प दिये हुये अभ्यर्थी किसी भी व्यवसाय में प्रवेश लेने हेतु उपलब्ध नहीं है, तो उक्त चरण से ही चतुर्थ चरण में दी गयी व्यवस्था के अनुसार रिक्त सीटों के सापेक्ष आरक्षण की व्यवस्था को शिथिल रखते हुये निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को यह सुविधा प्राप्त होगी की वह पोर्टल के बाहर के योग्यता धारक अभ्यर्थियों में से अपने संस्थान हेतु रिक्त सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण कर लें तथा अभ्यर्थियों को पोर्टल पर फार्म भरवाकर ऑनलाईन प्रवेश पंजीकरण शुल्क जमा करते हुये प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण कर लें।

<u>द्वितीय चरण (अपग्रेडेशन/चयन सूची)</u>

(1) राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रथम चरण में प्रवेश लेने वाले ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें अपने उच्च विकल्प के व्यवसाय/संस्थान/एस0सी0वी0टी0/एन0सी0वी0टी0 पाठ्यक्रम नहीं प्राप्त हुआ है, किन्तु प्रथम चरण में कतिपय अभ्यर्थियों के प्रवेश न लेने के कारण उन्हें उच्च विकल्प के व्यवसाय/संस्थान/एस0सी0वी0टी0/एन0सी0वी0टी0 पाठ्यक्रम प्राप्त हो सकता है, तो पोर्टल पर ऐसे अभ्यर्थियों के लिये यदि वे प्रवेशित व्यवसाय/संस्थान/एस0सी0 वी0टी0/एन0सी0वी0टी0 पाठ्यक्रम में बदलाव हेतु सहमति देगा तो उसका उच्चीकरण उच्च विकल्प के व्यवसाय/ संस्थान/एस0सी0वी0टी0 /एन0सी0वी0टी0 पाठ्यक्रम में सीट रिक्त होने पर कर दिया जायेगा। इस प्रकार अपग्रेडेशन के फलस्वरूप नई स्थिति की सूचना सम्बन्धित अभ्यर्थियों को उनके **Mobile** पर **Message** के द्वारा दी जायेगी तथा संस्थानों को अपग्रेडेशन के फलस्वरूप ऐसे अभ्यर्थियों की सूची प्रदान की जायेगी जिसके आधार पर अभ्यर्थी नये व्यवसाय/संस्थान/एस0सी0वी0टी0/ एन0सी0वी0टी0 पाठ्यक्रम में पुनः नई प्रवेश की प्रक्रिया से प्रवेश लेगा, किन्तु उसे दोबारा फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिन अभ्यर्थियों ने उच्च विकल्प के लिये प्रस्ताव दिया है, पर उच्चीकृत होने की स्थिति में उनके नये व्यवसाय/संस्थान/एस0सी0वी0टी0/ एन0सी0वी0टी0 पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा नये आवंटित विकल्प में प्रवेश न लेने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी का प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। इस अवधि तक निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रथम चरण के आवंटित अभ्यर्थियों का ही प्रवेश चालू रहेगा तथा उनमें उक्त उच्चीकरण की प्रक्रिया लागू नहीं होगी।

(2) राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उच्चीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त तथा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त सर्वप्रथम ऐसे अभ्यर्थियों को अलग कर दिया जायेगा, जिन्हें प्रथम चरण में कोई भी राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आवंटित

हुआ था। तत्पश्चात राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिये अवशेष सीटों के लिए आवंटन की प्रक्रिया पुनः प्रथम चरण के प्रस्तर–(4) के अनुसार चलाई जायेगी तथा उक्त के अनुसार तैयार द्वितीय चयन सूची एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिये अपग्रेडेशन सूची पुनः परिषद की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी तथा चयनित अभ्यर्थियों को उनके **Mobile** पर **Message** के द्वारा सूचना भेजी जाएगी। उक्त आशय की मात्र विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी जाएगी। दूसरे चरण के प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त पुनः परिणामी रिक्त सीटों का आंकलन किया जाएगा।

(3) जिन निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु इस चरण में विकल्प दिये हुये अभ्यर्थी किसी भी व्यवसाय में प्रवेश लेने हेतु उपलब्ध नहीं है तो उक्त चरण से ही चतुर्थ चरण में दी गयी व्यवस्था के अनुसार रिक्त सीटों के सापेक्ष आरक्षण की व्यवस्था को शिथिल रखते हुये निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को यह सुविधा प्राप्त होगी की वह पोर्टल के बाहर के योग्यता धारक अभ्यर्थियों में से अपने संस्थान हेतु रिक्त सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण कर लें तथा अभ्यर्थियों को पोर्टल पर फार्म भरवाकर ऑनलाईन प्रवेश पंजीकरण शुल्क जमा करते हुये प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण कर लें।

तृतीय चरण

(1) द्वितीय चरण के उपरान्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अभ्यर्थियों के उच्चीकरण की प्रक्रिया द्वितीय चरण के प्रस्तर–(1) के अनुसार करते हुए राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में परिणामी रिक्त सीटों का विवरण तैयार कर वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा, तथा अभ्यर्थियों का पुनः विकल्प प्राप्त करते हुए पंजीकरण की कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थियों का विकल्प पंजीकृत करने हेतु सूचना वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी तथा उक्त आशय की विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी नया विकल्प नहीं देना चाहता है, तो उसके प्रवेश फार्म में दिये गये विकल्प पर ही उसकी मेरिट के अनुसार उसे प्रथम चरण के प्रस्तर–(4) के अनुसार व्यवसाय/संस्थान आवंटित कर दिया जायेगा। पंजीकरण के उपरान्त चयन प्रक्रिया 04 दिनों में पूर्ण कर ली जायेगी, तथा अभ्यर्थियों को प्रवेश लेने हेतु अधिकतम 05 दिनों का समय प्रदान किया जायेगा। सीटों के आवंटन में केवल ऐसे अभ्यर्थियों पर विचार किया जायेगा, जिन्हें प्रथम एवं द्वितीय चरण में कोई सीट आवंटित नहीं हुई हैं। इस चरण में उक्त आवंटन के उपरान्त अनावंटित अवशेष सीटों को अनारक्षित करते हुए दोबारा प्रथम चरण के प्रस्तर–(4) की भॉति सीट आवंटन की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

(2) जिन निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु इस चरण में विकल्प दिये हुये अभ्यर्थी किसी भी व्यवसाय में प्रवेश लेने हेतु उपलब्ध नहीं है तो उक्त चरण से ही चतुर्थ चरण में दी गयी व्यवस्था के अनुसार रिक्त सीटों के सापेक्ष आरक्षण की व्यवस्था को शिथिल रखते हुये निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को यह सुविधा प्राप्त होगी की वह पोर्टल के बाहर के योग्यता धारक अभ्यर्थियों में से अपने संस्थान हेतु रिक्त सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण कर लें तथा अभ्यर्थियों को पोर्टल पर फार्म भरवाकर ऑनलाईन प्रवेश पंजीकरण शुल्क जमा करते हुये प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण कर लें।

चतुर्थ चरण

उपरोक्तानुसार चयन के उपरान्त रिक्त रह गयी व्यवसायवार, संस्थानवार, एवं जनपदवार सीटों की सूची सम्बन्धित जनपदों को प्रेषित की जायेगी। जनपद स्तर पर रिक्त रह गयी सीटों को भरे जाने हेतु राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आरंक्षण की व्यवस्था शिथिल रखते हुये निम्नवृत प्रक्रिया अपनायी जायेगीः–

(1) रिक्तियों की सूचना संस्थान के सूचना पट पर प्रदर्शित कर व स्थानीय स्तर पर लीडिंग मुख्य समाचार–पत्रों में विज्ञापित कर व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए 07 दिनों में रिक्त सीटों में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑन लाईन आवेदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

(2) जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में प्रवेश हेतु आवेदन किया था तथा उन्हें कोई भी सीट आवंटित नहीं हो सकी, उनके फार्म पोर्टल पर पंजीकरण संख्याः अंकित कर देखे जा सकेगे। इन अभ्यर्थियों को रिक्त सीटों के सापेक्ष अपने विकल्प भरने की उपलब्ध व्यवस्था के अन्तर्गत इच्छित संस्थान, रिक्त व्यवसायों का विकल्प के साथ–साथ ग्रुप ए (कक्षा–10) व ग्रुप बी (कक्षा–8) को भी पोर्टल पर ऑनलाइन निर्धारित स्थान पर शैक्षिक योग्यता के अनुसार संशोधित कर भरना होगा।

(3) नये आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के 03 दिन के भीतर विकल्पित संस्थान के प्रधानाचार्य से अपने मूल अभिलेखों को प्रमाणित कराना होगा। अभिलेखों को प्रमाणित करने के बाद प्रधानाचार्य द्वारा आवेदन पत्रों को अर्हकारी शैक्षिक योग्यता की मेरिट के आधार पर व्यवसायवार ग्रुप–ए और ग्रुप बी की अलग–अलग सूची तैयार की जायेगी।

(4) उपरोक्तानुसार जनपदवार, ग्रुपवार, व्यवसायवार तैयार मेरिट सूची के आधार पर पूर्व में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को उनके विकल्प के आधार पर स्थायी (गृह जनपद) व अस्थायी पते से सम्बन्धित जनपद में सीटें आवंटित की जायेंगी। उसके उपरान्त नये आवेदकों को प्राप्त विकल्प के आधार पर सीटें आवंटित की जायेगी। रिक्त सीटों के आवंटन की प्रक्रिया 04 दिनों में पूर्ण कर ली जायेगी, और चयनित अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु 05 दिनो का समय प्रदान किया जायेगा। प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूचना परिषद को शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।

(5) **जनपद स्तर पर रिक्त सीटों को भरे जाने की कार्यवाही निम्न गठित समिति द्वारा की जायेगी।**

1. संबंधित जनपद के नोडल प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान।
2. संबंधित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य।
3. जिला सेवायोजन अधिकारी।

(6) जनपदवार निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानवार व्यवसायों में रिक्त सीटों के सापेक्ष आरक्षण की व्यवस्था को शिथिल रखते हुए निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को यह सुविधा प्राप्त होगी कि वह पोर्टल पर अब तक चयन से वंचित अभ्यर्थियों में से अथवा पोर्टल के बाहर के योग्यताधारक अभ्यर्थियों में से अपने संस्थान हेतु रिक्त सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण कर लें तथा निर्धारित तिथि तक पोर्टल के अभ्यर्थियों को सम्बन्धित व्यवसाय की सीट के विरूद्ध तथा नये अभ्यर्थियों को पोर्टल पर फार्म भरवाकर ऑनलाइन प्रवेश पंजीकरण शुल्क जमा करते हुये प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण कर सुरक्षित कर लें। इस हेतु पोर्टल पर गैर चयनित अभ्यर्थियों की सूची निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के दृष्टव्य हेतु उपलब्ध रहेगी।

(7) सीट आवंटन प्रक्रिया हेतु निर्धारित किये गये उपरोक्त चरणों को समयबद्ध रूप से पूरा किया जायेगा, जिससे कि निर्धारित अन्तिम तिथि तक समस्त प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाय।

3. **<u>उक्त के अतिरिक्त प्रवेश प्रक्रिया में निम्न बिन्दुओं का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगाः–</u>**

(1) अर्हकारी शैक्षिक योग्यता के प्राप्तांक मेरिट के आधार पर एस0सी0वी0टी0 द्वारा 03 चरणों में आवंटन सूचियाँ निर्गत की जायें, एवं चतुर्थ चरण में अवशेष रिक्त रह गयी सीटों को भरें जाने हेतु नोडल प्रधानाचार्यों को अधिकृत किया जाये, जिससे प्रवेश प्रक्रिया कम अवधि में सम्पन्न की जा सके।

(2) प्रवेश प्रक्रिया के चतुर्थ चरण में मेरिट आधारित प्रवेश पूर्ण होने के पश्चात राजकीय संस्थानों में भी रिक्त सीटों पर पूर्व पंजीकृत व नवीन अभ्यर्थियों के पंजीकरण/प्रवेश प्रदेश के किसी भी नोडल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश की अन्तिम पुनरीक्षित तिथि (कम से कम 15 दिनों) तक Walk in सिद्धान्त के अनुसार किया जायेगा।

(3) समस्त ऑनलाइन आवेदन करने वाले आभ्यर्थियों के प्रविष्टयों से संबंधित शैक्षिक योग्यता आरक्षण वर्ग एवं अधिमानी अर्हता संबंधी मूल अभिलेखों का सत्यापन न कराकर केवल चयनित अभ्यर्थियों का सत्यापन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय कराया जाये, जिससे कि संस्थानों में अभ्यर्थियों के अनावश्यक दबाव में कमी हो सके।

(4) मितव्ययता के दृष्टिगत समस्त परीक्षाफल समाचार पत्रों में प्रकाशित न करायी जाय अपितु केवल विज्ञाप्ति प्रकाशित करायी जाय एवं चयनित अभ्यर्थियों का परीक्षाफल परिषद की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाय तथा उनके मोबाईल नम्बर पर मैसेज से सूचना भेजी जाय।

5. प्रदेश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के वेण्डर द्वारा संचालित किये जाने वाले राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्रकिया हेतु उपरोक्त निर्देशों के साथ–साथ निम्नवत प्रकिया का निर्धारण किया जाता हैः–

1- पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत निजी क्षेत्र के वेण्डर द्वारा संचालित किये जाने वाले राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसायवार, एककवार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए लागू शुल्क वाली सीटों तथा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए लागू शुल्क वाली सीटों का विवरण निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश

द्वारा संस्थानवार, व्यवसायवार उपलब्ध कराया जायेगा तथा इन व्यवसाय एककों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.वी.टी.) से सम्बन्धन प्राप्त होने पर एन.सी.वी.टी. विधा के अंतर्गत अन्यथा एस.सी.वी.टी. विधा के अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।

2- इन संस्थानों के लिए संस्थान एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के शुल्क वाले व्यवसाय/एकक/ सीटें राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के साथ तथा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की शुल्क वाली व्यवसाय/ एकक/सीटें निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के साथ पोर्टल एवं विवरणी में प्रदर्शित की जायेगी तथा सम्मिलित रुप से भी इनका विवरण पोर्टल/विवरणी में जनसामान्य के लिए उपलब्ध रहेगा।

3- इन संस्थानों में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के शुल्क वाली सीटों पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की भाँति शुल्क तथा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों वाली सीटों पर निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की भाँति शुल्क की व्यवस्था लागू रहेगी।

4- इन संस्थानों में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के शुल्क वाली सीटों पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए लागू सभी नियम एवं शर्तों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी तथा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के शुल्क वाली सीटों पर निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए लागू सभी नियम एवं शर्तों के अधीन प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।

22. ऑनलाइन विकल्प आधारित चयन प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से सम्पन्न की जायेगी। प्रदेश में चरण अनुसार उस चरण के लिए निर्धारित अन्तिम प्रवेश तिथि के उपरान्त किसी भी परिस्थिति में किसी अभ्यर्थी का प्रवेश सम्भव नहीं होगा।

23. विवरणी में दर्शाये गये किसी भी संस्थान/व्यवसाय में प्रवेश न किये जाने का अधिकार उत्तर प्रदेश शासन/परिषद के पास सुरक्षित रहेगा।

: महत्वपूर्ण निर्देश :

1. राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 द्वारा संचालित ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन पत्र भर कर Submit (जमा) करने पर अभ्यर्थी उन सभी नियमों, प्रतिबंधों तथा उपबन्धों से आबद्ध हो जाता है जो विवरण–पुस्तिका में विभिन्न स्थानों पर दिये गये हैं या जिन्हें समय–समय पर परिषद या राज्य सरकार परिवर्तन करें या नवीनतम् नियम लागू करें।
2. यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत सूचना प्रवेश से पूर्व/प्रवेश के समय या भविष्य में असत्य पायी जाती है तो उस अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
3. यह देखा गया है कि अभ्यर्थी अन्य वर्ग/वरीयता कालम में वरीयता के पात्र न होते हुए भी उसका चयन कर लेते हैं। जिससे उस वर्ग में उनका चयन होने के उपरान्त पात्रता के अभाव में प्रवेश नहीं हो पाता है। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि पात्रता होने पर ही सम्बन्धित वर्ग/वरीयता का चयन करें। यदि कोई अभ्यर्थी ऑन–लाइन आवेदन पत्र में अधूरी, अस्पष्ट अथवा गलत सूचना अंकित करता है तो संशोधन हेतु आवेदन के उपरान्त निर्धारित समय 02 दिन (48 घण्टे) का अतिरिक्त समय दिया जायेगा। इसके उपरान्त आवेदन Submit करने के बाद कोई भी प्रविष्टि संशोधित नहीं की जा सकेगी। अपूर्ण/अस्पष्ट सूचना के कारण अभ्यर्थी को होने वाली हानि के लिए परिषद उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसे अपूर्ण/अस्पष्ट/गलत भरे आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माने जायेंगे।
4. ऑनलाइन आवेदन पत्र में संस्थान एवं व्यवसाय आदि का चयन सावधानीपूर्वक करें। इसके गलत हो जाने का उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।
5. विवरण पुस्तिका में दिये गये विवरण केवल अभ्यर्थी के सूचनार्थ एवं निर्देशार्थ हैं। विवरण पुस्तिका वैधानिक प्रलेख नहीं है। अतः इसका उपयोग वर्णित कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिए मान्य नहीं होगा।
6. वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र लखनऊ में स्थित न्यायालय ही मान्य है। अभ्यर्थियों के प्रवेश के सम्बन्ध में परिषद का निर्णय अन्तिम होगा तथा अभ्यर्थी परिषद के नियम मानने हेतु बाध्य होंगे।
7. यदि राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चयनित किसी अभ्यर्थी की प्रवेश की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र/मूल अंक तालिका (अस्थायी अथवा प्रतिबन्धों के साथ मान्य नहीं है) की 'प्राप्ति' विलम्ब से होती है अथवा किसी अन्य कारणवश यदि अभ्यर्थी राज्य व्यावसायिक

प्रशिक्षण परिषद द्वारा संस्थान में प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक वांछित शैक्षिक अर्हता का प्रमाण–पत्र आदि नहीं प्रस्तुत करता है अथवा प्रवेश नहीं ले पाता है तो सम्बन्धित अभ्यर्थी को प्रवेश प्रदान कराने का उत्तरदायित्व परिषद/संस्थान का नहीं होगा तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/चयन स्वतः समाप्त हो जायेगा।

8. समस्त चयनित अभ्यर्थियों को संस्थान में प्रवेश के समय धनराशि रू0–300 –(कॉशनमनी) जमा करनी होगी। तथा प्रशिक्षण शुल्क रू040/–प्रतिमाह की दर से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को छोडकर शेष अभ्यर्थियों से लिया जायेगा।

9. विवरण पुस्तिका के अतिरिक्त राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (SCVT), उ.प्र. अथवा उसकी ओर से अन्य किसी भी संस्था/प्रकाशक को अभ्यर्थियों के मार्ग दर्शन (गाइडेंस) हेतु किसी प्रकार की पुस्तिका प्रकाशन अथवा मुद्रण का कोई भी अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। यदि कोई संस्था, परिषद के नाम का दुरूपयोग करती है, तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

आरक्षण वर्ग अथवा वरीयता वर्ग सम्बन्धी प्रारूप

1. यदि कोई अभ्यर्थी प्रॉविजनली चयनित हो जाने की दशा में अपने आरक्षण वर्ग अथवा वरीयता वर्ग का मूल प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त) प्रवेश के समय प्रस्तुत नहीं करता है अथवा आरक्षण एवं वरीयता के सम्बन्ध में उसके द्वारा दिया गया वक्तव्य अथवा अन्य दी गयी सूचना असत्य पाई जाती है, तो उसे किसी अन्य वर्ग में समायोजित नहीं किया जायेगा एवं उसकी पात्रता निरस्त हो जायेगी।

   आरक्षण वर्ग अथवा वरीयता वर्ग सम्बन्धी प्रारूप परिशिष्ट–(11) पर देखे जा सकते हैं।

(अ)	अन्य पिछड़ा वर्ग (उत्तर प्रदेश)।	प्रारूप संख्याः–1
(ब)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश)।	प्रारूप संख्याः–2
(स)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (उ.प्र. से बाहर के)।	प्रारूप संख्याः–3
(द)	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित उम्मीदवार।	प्रारूप संख्याः–4
(ड.)	सेवारत एवं भू.पू. सैनिकों के आश्रित उम्मीदवार।	प्रारूप संख्याः–5
(च)	अपने निवास, विकास खण्ड/तहसील/जनपद से इतर शिक्षा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उसी स्थान से संबंधित आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण पत्र का प्रारूप।	प्रारूप संख्या–6
(छ)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWss)के व्यक्तियों को प्रवेश में आरक्षण।	प्रारूप संख्या–7

उक्त प्रारूप–पत्र पर सूचना निर्धारित/अंतिम तिथि तक संस्थान में उपलब्ध न करा पाने वाले अभ्यर्थियों का चयन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

मानक शुल्क एवं महत्वपूर्ण निर्देश–

1. व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उ0प्र0 द्वारा जारी कार्यालय–ज्ञाप संख्या–98/2018/2636/89–व्या0शि0 एवं कौ0वि0वि0–2018–26 (टी)/2010, लखनऊ दिनांक–25 जुलाई,2018 के बिन्दु संख्या–3 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश में संचालित निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए मानक शुल्क इंजीनियरिंग व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु रू0 18,000.00/–प्रति प्रशिक्षार्थी प्रतिवर्ष आगामी 03 वर्षों अर्थात् 2018–19, 2019–20 तथा 2020–21 के लिए तथा नॉन इंजीनियरिंग व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु रू0 15,400.00/–प्रति प्रशिक्षार्थी प्रतिवर्ष आगामी 03 वर्षों अर्थात् 2018–19, 2019–20 तथा 2020–21 के लिए मानक शुल्क निर्धारित किया गया है।

2. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0 द्वारा जिन निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को प्रवेश हेतु अनुपयुक्त पाया जाएगा, उस निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों का आवंटन नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह अधिक से अधिक संस्थानों का विकल्प अवश्य दें।

3. समस्त निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सत्र अगस्त–2022 से होने वाले प्रवेश हेतु व्यवसायवार सीटें विवरणी में भारत सरकार डी0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदर्शित हैं। यदि किसी संस्थान को उक्त में कोई संशोधन वांछित है तो समस्त अभिलेखों सहित भारत सरकार डी0जी0टी0 नई दिल्ली में

संशोधन कराकर इस कार्यालय में भी संशोधन करा लें अन्यथा इसके होने वाले परिणाम के लिए वे संस्थान स्वयं उत्तरदायी होंगे।

अभ्यर्थियों के उपयोगार्थ आवेदन के विवरण के सत्यापन हेतु जाँच–सूची

ऑनलाइन प्रिन्टेड आवेदन पत्र के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं की जाँच अवश्य कर लेंः–

1. फोटो की 4 प्रतियां प्रवेश के समय यथा आवश्यकता उपयोग हेतु अपने पास सुरक्षित रख ली गई हैं।
2. अभ्यर्थी ने अपने स्कैन्ड हस्ताक्षर ऑन लाइन आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर स्पष्ट रूप से अपलोड कर दिये है।
3. अभ्यर्थी भरे गये ऑन लाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट की एक छायाप्रति कराकर अपने पास सुरक्षित रखें ताकि प्रवेश के समय यथा आवश्यकता संदर्भ हेतु उनके द्वारा संस्थान में उपलब्ध कराया जा सके।

परिशिष्ट–1

उत्तर प्रदेश में स्थित जनपदों के कोड

मण्डल	जनपद	जनपद का कोड
आगरा–1	आगरा	01
	मथुरा	02
	फिरोजाबाद	03
	मैनपुरी	04
अलीगढ़–2	अलीगढ़	05
	एटा	06
	कासगंज	07
	हाथरस	08
बरेली–3	बरेली	09
	बदायूँ	10
	पीलीभीत	11
	शाहजहाँपुर	12
मुरादाबाद–4	मुरादाबाद	13
	सम्भल	14
	अमरोहा (जे.पी. नगर)	15
	बिजनौर	16
	रामपुर	17
मेरठ–5	मेरठ	18
	बुलन्दशहर	19
	गाजियाबाद	20
	हापुड़	21
	गौतमबुद्धनगर	22
	बागपत	23
सहारनपुर–6	सहारनपुर	24
	मुजफ्फर नगर	25
	शामली	26
कानपुर–7	कानपुर नगर	27
	कानपुर देहात	28
	कन्नौज	29
	इटावा	30
	औरैय्या	31
	फर्रुखाबाद	32
प्रयागराज–8	प्रयागराज	33
	कौशाम्बी	34
	फतेहपुर	35
	प्रतापगढ़	36
झाँसी–9	झाँसी	37
	जालौन	38
	ललितपुर	39
चित्रकूटधाम–10	चित्रकूट	40
	महोबा	41
	बाँदा	42
	हमीरपुर	43

मण्डल	जनपद	जनपद का कोड
लखनऊ–11	लखनऊ	44
	हरदोई	45
	लखीमपुर खीरी	46
	सीतापुर	47
	उन्नाव	48
	रायबरेली	49
अयोध्या–12	अयोध्या	50
	अम्बेडकरनगर	51
	सुल्तानपुर	52
	अमेठी	53
	बाराबंकी	54
श्रीदेवीपाटन–13	बहराइच	55
	गोण्डा	56
	श्रावस्ती	57
	बलरामपुर	58
वाराणसी–14	वाराणसी	59
	गाजीपुर	60
	जौनपुर	61
	चन्दौली	62
विंध्याचल धाम (मिर्जापुर)–15	मिर्जापुर	63
	सोनभद्र	64
	सन्तरविदासनगर (भदोही)	65
आजमगढ़–16	आजमगढ़	66
	बलिया	67
	मऊ	68
बस्ती–17	बस्ती	69
	सन्तकबीरनगर	70
	सिद्धार्थनगर	71
गोरखपुर–18	गोरखपुर	72
	देवरिया	73
	महराजगंज	74
	कुशीनगर	75

कोर्स ग्रुप ए (Course Group- A) (NSQF)
शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत व्यवसाय, कोड एवं उनका संक्षिप्त परिचय
इंजीनियरिंग व्यवसाय(Engineering Trades)

क्र0 सं0	व्यवसाय	व्यवसाय कोड	प्रशिक्षण अवधि	न्यूनतम अर्हकारी शैक्षिक योग्यता	शैक्षि0 यो0 कोड	संक्षिप्त परिचय
01	प्लास्टिक प्रोसेसिंग आपरेटर	541	एक वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष)	4	प्लास्टिक के पुर्जे, पाइप, बर्तन, प्लास्टिक के अन्य सामान को बनाने एवं विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक मशीनरी चलाने का कार्य।
02	फिटर	453	दो वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष)	4	विभिन्न धातुओं के कल–पुर्जों का निर्माण एवं उनकी फिटिंग करना तथा औजारों का सम्पूर्ण ज्ञान।
03	टर्नर	578	दो वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष)	4	विभिन्न प्रकार की ख़राद मशीनों द्वारा पुर्जों का निर्माण, चूड़ी बनाना, धातुओं को आवश्यकतानुसार ख़राद कर विभिन्न आकार देने का कार्य।
04	मशीनिस्ट	493	दो वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष)	4	विभिन्न प्रकार की मशीनों पर कार्य करके विभिन्न प्रकार के गियर, फिटिंग, चाभी तथा घाट काटने सम्बन्धी ज्ञान अर्जित करना।
05	इलेक्ट्रीशियन	442	दो वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष)	4	विद्युत सम्बन्धी कल–पुर्जों का ज्ञान, उनकी मरम्मत एवं रख–रखाव, मोटर वाईडिंग आदि का ज्ञान अर्जित करना।
06	इन्स्ट्रूमेंट मैकेनिक	477	दो वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष)	4	समस्त विद्युतीय, चुम्बकीय, वायुदाब मापी, ताप मापी और सूक्ष्ममापी यन्त्रों का ज्ञान एवं उन्हें मरम्मत करना।
07	रेफ्रीजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग टेक्नीशियन	998	दो वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष)।	4	रेफ्रीजरेटर, एयरकन्डीशनर आदि का ज्ञान, मरम्मत तथा स्थापित करना एवं संचालन।
08	टूल एण्ड डाईमेकर (प्रेस टूल्स,जिग्स एवं फिक्चर्स)	575	दो वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष)।	4	नये औजारों का निर्माण, कल–पुर्जों का निर्माण उनको बनाने के लिए डाई का निर्माण सम्बन्धी ज्ञान।
09	टूल एण्ड डाईमेकर (डाई एण्ड मोल्डस)	574	दो वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष)।	4	नये औजारों का निर्माण, कल–पुर्जों का निर्माण उनको बनाने के लिए डाई का निर्माण सम्बन्धी ज्ञान।
10	मैकेनिक मशीन टूल्स मेन्टीनेन्स	518	दो वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत।	2	मशीनों को खोलना, बाँधना, मशीनों में उत्पन्न खराबी को ठीक करना।
11	मशीनिस्ट ग्राइण्डर	494	दो वर्षं	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष)।	4	धातु के बने हुए पुर्जों को सूक्ष्म मापीय नाप में तैयार करने तथा शीशे की तरह सतह बनाना।
12	ड्राफ्टसमैन (मैकेनिकल)	439	दो वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष)।	4	यान्त्रिक पुर्जों तथा मशीनों का आकार व नाप ड्राइंग शीट पर बनाना, उसका ब्लू प्रिन्ट बनाना।
13	ड्राफ्टसमैन (सिविल)	437	दो वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष)।	4	भवन, पुल आदि का आकार व नाप ड्राइंग शीट पर बनाना तथा उसका ब्लू प्रिन्ट बनाना।

14	सर्वेयर	569	दो वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत।	2	भूमि की ऊपरी सतह/भीतरी भाग का सर्वेक्षण, निरीक्षण, सड़क, रेलवे ट्रैक, हवाई पट्टी आदि का सर्वेक्षण करने सम्बन्धी ज्ञान का अर्जन।
15	इलेक्ट्रानिक मैकेनिक	446	दो वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष)।	4	इलेक्ट्रानिक पुर्जों, उपकरणों जैसे टी0वी0, वी0सी0आर0 सामान्य इलेक्ट्रानिक्स के उपकरण आदि का मरम्मत एवं उनका रखरखाव चलाने सम्बन्धी ज्ञान।
16	इलेक्ट्रोप्लेटर	447	दो वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष।	4	विद्युतीय विधि द्वारा पुर्जे पर विभिन्न धातुओं की कलई करना।
17.	इलैक्टीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन	444	दो वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष)।	4	विद्युत सम्बन्धी कल–पुर्जों का ज्ञान, उनकी मरम्मत एवं रख–रखाव तथा ट्रांसफार्मर आदि का ज्ञान अर्जित करना।
18	मैकेनिक मोटर व्हीकल	502	दो वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ)।	4	डीजल, पेट्रोल से चलने वाली छोटी एवं बड़ी गाडियों की मरम्मत, पुर्जों का ज्ञान तथा गाड़ियों को चलाना।
19	इन्फारमेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मैन्टीनेन्स (ICTSM)	474	दो वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ)।	4	साफ्टवेयर एवं कम्प्यूटर टेक्नोलोजी का ज्ञान दिया जाता है।
20	मैकेनिक डीजल	515	एक वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ।	4	डीजल इंजन को चलाने,मरम्मत करने सम्बन्धी ज्ञान।
21	मैकेनिक टू एण्ड थ्री व्हीलर	985	एक वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ)।	4	इसके अन्तर्गत वाहनों के रख–रखाव एवं रिपेयरिंग संबंधी आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है।
22.	फाउण्ड्रीमैन	460	एक वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत)।	2	बने हुए साचों के अनुरूप पिघली धातु से पुर्जों की ढलाई करना।
23.	मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी	505	दो वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत)।	2	कृषि सम्बन्धी विभिन्न उपकरणों, यन्त्रों का रख–रखाव मरम्मत एवं उनके चलाने आदि का कार्य।
24.	मैकेनिक ट्रैक्टर	504	एक वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ)।	4	ट्रैक्टर की मरम्मत एवं उसका रख–रखाव करना, चलाना उसके संबंध में सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना।
25	टेक्निशियन पावर इलेक्ट्रानिक सिस्टम	571	दो वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष)।	4	विद्युत सम्बन्धी कल–पुर्जों का ज्ञान, उनकी मरम्मत एवं रख–रखाव तथा इलेक्ट्रनिक्स आदि का ज्ञान अर्जित करना।
26	मैकेनिक कन्ज्यूमर इलेक्ट्रानिक एप्लायन्सेज	513	दो वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष)।	4	इस व्यवसाय के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के कन्ज्यूमर इलेक्ट्रानिक्स यथा टी0वी0, टेप रिकार्डर, वी0सी0आर0 प्लेयर आदि के मरम्मत एवं निर्माण का ज्ञान दिया जाता है।
27	वीविंग टेक्नीशियन	581	दो वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष)।	4	बुनकर से सम्बन्धित कार्यों आदि की जानकारी प्राप्त करना।
28	टेक्नीशियन मेडिकल इलेक्ट्रानिक्स	054	दो वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ)।	6	मेडिकल इलेक्ट्रनिक्स उपकरणों के संचालन एवं उसकी मरम्मत का ज्ञान देना ।
29	मैकेनिक आटो इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स	509	एक वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ)।	4	विद्युत एवं इलेक्ट्रानिक के कल पुरजों उपकरणों तथा सहायक उपकरणों को लगाने, मरम्मत तथा रखरखाव संबंधी ज्ञान देना।
30	टेक्स्टाइल वेट प्रोसेसिंग टेक्नीशियन	573	दो वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ)।	4	वस्त्रों के रासायनिक प्रसंस्करण, रंग रोगन उनपर छपाई तथा फिनिशिंग संबंधी ज्ञान देना।

31	लिफ्ट एण्ड एस्केलेटर मैकेनिक	490	दो वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ)।	4	प्रयुक्त होने वाले लिफ्ट तथा इंण्डस्ट्री में प्रयुक्त होने वाले एस्केलेटर के संचालन रखरखाव मरम्मत तथा लगाये जाने संबंधी ज्ञान देना।
32	आर्किटेक्चरल ड्राफ्टसमैन	404	दो वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ तथा अलग अलग न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको के साथ)।	5	भवनों के निर्माण वास्तु के विचार से तथा आन्तरिक रंगरोगन आदि संबंधी ज्ञान दिया जाना।
33	मैकेनिक आटों बॉडी पेन्टिंग	507	एक वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत)।	2	आटो मोबाईल क्षेत्र की आवश्यकताओ के अनुरूप वाहनों के पेन्टिंग संबंधी ज्ञान एवं उनसे संबंधित विधाओं में कुशलता प्रदान करना।
34	इन्डस्ट्रीयल पेन्टर	473	एक वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत अथवा उसके समकक्ष)।	2	औद्योगिक मशीनरी तथा उपकरणों को पेन्टिंग करने तथा पेन्टिंग के आधुनिक विधाओं का ज्ञान प्रदान करना।
35	इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी	475	दो वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ)।	4	सूचनाओं के आदान प्रदान में प्रयुक्त आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा कठिनाईयों के निस्तारण से संबंधी प्रशिक्षण दिया जाना।
36	मैकेनिक आटों बॉडी रिपेयर	508	एक वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथअथवा उसके समकक्ष) ।	4	इंजन/स्वचालित वाहनों के ढाचों के मरम्मत आदि का ज्ञान देना।
37	पम्प ऑपरेटर कम मैकेनिक	547	एक वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ)।	4	विभिन्न प्रकार के पम्पों की मरम्मत, फिटिंग का कार्य।
38	लैबोरेटरी असिस्टेन्ट (कैमिकल प्लान्ट)	485	दो वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष)।	4	ठोस तरल पदार्थ के गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण का प्रशिक्षण दिया जाना।
39	इन्टीरियर डिजाइनिंग एण्ड डेकोरेशन	481	एक वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ तथा अलग–अलग न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ। समकक्ष)।	5	कार्यालयों, घरों की आंतरिक साज–सज्जा की बनावट को तैयार करना तथा आन्तरिक वास्तु रंग, पर्दे, तकिए आदि संबंधी ज्ञान दिया जाना।

कोर्स ग्रुप ए(Course Group- A) (NSQF)
शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत व्यवसाय, कोड एवं उनका संक्षिप्त परिचय
इतर इंजीनियरिंग व्यवसाय (Non-Engineering Trades)

क्र0 सं0	व्यवसाय	व्यवसाय कोड	प्रशिक्षण अवधि	न्यूनतम अर्हकारी शैक्षिक योग्यता	शैक्षि0 यो0 कोड	संक्षिप्त परिचय
01	कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA)	421	एक वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण	2	कम्प्यूटर आपरेटर, डाटा इण्ट्री प्रोग्रामिंग तथा अप्लीकेशन पैकेजेज को चालने का ज्ञान।
02	लिथों आफसेट मशीन माइण्डर	492	एक वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण	2	इसके अन्तर्गत आफसेट मशीन द्वारा मुद्रण कार्य सम्बन्धी आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है।
03	स्टेनोग्राफी सेक्रेट्रीयल असिसटेन्ट (अंग्रेजी)	564	एक वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण	2	अंग्रेजी भाषा का सांकेतिक भाषा में लिखना और उसे टाइप मशीन पर टंकण करना।
04	स्टेनोग्राफी सेक्रेट्रीयल असिसटेन्ट (हिन्दी)	565	एक वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण	2	हिन्दी भाषा का सांकेतिक भाषा में लिखना और उसे टाइप मशीन पर टंकण करना।
05	फूड प्रोडक्शन (जनरल)	458	एक वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत)।	2	मुख्य रसोईयें की सहायता व खाद्यय व्यंजन सम्बन्धी विभिन्न कार्य।
06	ट्रेवल एण्ड टूर असिस्टेन्ट	577	एक वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत)।	2	पर्यटकों को पर्यटन स्थलों एवं यात्रा सम्बन्धी सूचना आदि उपलब्ध कराने सम्बन्धी ज्ञान।
07	मल्टीमीडिया एनीमेशन एण्ड स्पेशल इफेक्टस	530	एक वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत)।	2	आवश्यकता के अनुरूप डिजिटल तस्वीरों में स्थायी अथवा चलित तस्वीरों (फोटो/फिल्म) मे तस्वीरों तथा आवाज में विशेष प्रभाव उत्पन्न करने का ज्ञान देना।
08	फायर टेक्नोलॉजी एण्ड इंण्डस्ट्रीयल सेफ्टी मैनेजमेंट	451	एक वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत अथवा समकक्ष तथा शारीरिकदक्षता–ऊचाई 165 सेमी, वजन 52 किग्रा, सीना 81 सेमी, सामान्य, फूला हुआ 85सेमी,तथाएम0बी0बी0एस योग्यता धारक चिकित्सक द्वारा विषय विशेष हेतु प्रदत्त चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र)।	7	अग्नि शमन संबंधी तकनीक एवं औद्योगिक सुरक्षा संबंधी ज्ञान प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाना।
09	हेल्थ सेनेटरी इन्स्पेक्टर	467	एक वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत)।	2	स्वास्थ तथा सफाई संबंधी व्यवस्थाओं के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाना।
10	डिजिटल फोटोग्राफर	433	एक वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण	2	आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए बाजार के अनुरूप फोटोग्राफी की आधुनिक विधाओं संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना।
11	डेन्टल लैबोरेटरी इक्विपमेंट टैक्नीशियन	430	दो वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण	2	दंतावली से सम्बन्धित ज्ञान दिया जाना।
12	डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर	431	एक वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण	2	कम्प्यूटर और उससे जुड़े उपकरणों द्वारा प्रकाशन के कार्य का ज्ञान दिया जाना।
13	हॉस्पिटल हाउस कीपिंग	470	एक वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण	2	हॉस्पिटलकी साफ–सफाई आदि सम्बन्धी कार्यों का ज्ञान दिया जाता है।
14	अरली चाइल्डहुड एजूकेटर	544	एक वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण	2	स्कूल प्रबन्धन में सहयोग सम्बन्धी कार्यों का ज्ञान दिया जाता है।

15	हेल्थ, सेफ्टी एण्ड इनवायरमेंट	466	एक वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत अथवा समकक्ष तथा शारीरिक दक्षता–ऊचाई 165 सेमी, वजन 52 किग्रा, सीना 81 सेमी, सामान्य, फूला हुआ 85 सेमी, तथा एम0बी0बी0एस योग्यता धारक चिकित्सक द्वारा विषय विशेष हेतु प्रदत्त चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र)।	7	पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षा और मौजूदा पर्यावरण की सुरक्षा, प्रदूषण के नियंत्रण का ज्ञान दिया जाता है।
16	मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव	498	एक वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण	2	इस व्यवसाय के अन्तर्गत आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रबन्धन सम्बन्धी ज्ञान दिया जाता है।
17	फूड बेबरेज	456	एक वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ।)	4	इस व्यवसाय के अन्तर्गत खाद्य और पेय पदार्थों से सम्बन्धित ज्ञान दिया जाता है।
18	हाउस कीपर	471	एक वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण	2	गृह सम्बन्धी विभिन्न सफाई पहलुओं का ज्ञान दिया जाता है।
19	कम्प्यूटर हार्डवेयर एन्ड नेटवर्क मेंटीनेन्स	418	एक वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ।	4	इस व्यवसाय के अन्तर्गत दूर संचार संबंधी विभिन्न प्रकार के उपकरणों की मरम्मत का ज्ञान दिया जाता है।
20	आई0ओ0टी0 टेक्नीशियन (स्मार्ट एग्रीकल्चर)	482	एक वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ।	4	कृषि कार्य में उच्च तकनीक सम्बन्धी ज्ञान दिया जाता है।
21	आई0ओ0टी0 टेक्नीशियन (स्मार्ट सिटी)	484	एक वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ।	4	आधुनिक शहर निर्माण हेतु उच्च तकनीक सम्बन्धी ज्ञान दिया जाता है।
22	फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन	540	एक वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत)।	2	शरीर के विभिन्न जोडों के समुचित रूप से चलाय मान कर नसों में आपेक्षित रक्त संचालन सुनिश्चित करने का ज्ञान देना।
23	रेडियोलॉजी टेक्नीशियन	548	दो वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत)।	2	विकरण चिकित्सा पद्वति की मदद से शरीर की अंतःसंरचना की प्राप्त तस्वीर का परीक्षण करना, शारीरिक संरचना, विकरण हेतु शारीरिक स्थित परीक्षण का, तकनीक उपकरणों का रखरखाव विकरण के बचाव एवं सुरक्षा तथा रोगी की देखभाल का ज्ञान देना।

परिशिष्ट–4

कोर्स ग्रुप– ए (Course Group- A)
शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत व्यवसाय, कोड एवं उनका संक्षिप्त परिचय (राजकीय संस्थानों में केवल महिलाओं हेतु)
इंजीनियरिंग व्यवसाय (Engineering Trades)

क0 सं0	व्यवसाय	व्यवसाय कोड	प्रशिक्षण अवधि	न्यूनतमआर्हकारी शैक्षिक योग्यता	शैक्षि0 यो0 कोड	संक्षिप्त परिचय
01	इलेक्ट्रानिक मैकेनिक	446	दो वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष)।	4	इलेक्ट्रानिक पुर्जा, उपकरणों जैसे टी0वी0, वी0सी0आर0, सामान्य इलेक्ट्रानिक्स के उपकरण आदि का मरम्मत एवं उनका रखरखाव चलाने सम्बन्धी ज्ञान।
02	ड्राफ्ट्समैन (सिविल)	437	दो वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष)	4	भवन, पुल आदि का आकार, नाप, ड्राइंग शीट पर बनाना तथा ब्लू प्रिन्ट बनाना।

परिशिष्ट–5

कोर्स ग्रुप– ए (Course Group A)
शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत व्यवसाय, कोड एवं उनका संक्षिप्त परिचय (राजकीय संस्थानों में केवल महिलाओं हेतु)
इतर इंजीनियरिंग व्यवसाय (Non-Engineering Trades)

क्र0 सं0	व्यवसाय	व्यवसाय कोड	प्रशिक्षण अवधि	न्यूनतमआर्हकारी शैक्षिक योग्यता	शैक्षि0 यो0 कोड	संक्षिप्त परिचय
01	कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA)	421	एक वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण	2	कम्प्यूटर आपरेटर, डाटा इण्ट्री प्रोग्रामिंग तथा अप्लीकेशन पैकेजेज को चालने का ज्ञान।
02	कम्प्यूटर एडेड इम्ब्राईडरी एण्ड डिजाइनिंग	417	एक वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत)।	2	इस व्यवसाय के अन्तर्गत कढ़ाई तथा सुई आदि का कार्य कम्प्यूटर नियंत्रित मशीनों द्वारा किये जाने संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
03	फैशन डिजाइन एण्ड टेक्नोलॉजी	449	एक वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण	2	इस व्यवसाय के अन्तर्गत कटाई–सिलाई, कढ़ाई तथा इनसे सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की क्रियों, ड्रेस मेकिंग आदि का ज्ञान दिया जाता है।
04	कास्मेटोलॉजी	409	एक वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण	2	मनुष्य के केस एवं त्वचा की देख–भाल करना एवं सुन्दरता बनाये रखने संबंधी ज्ञान।
05	सेक्रेटेरियल प्रेक्टिस (अंग्रेजीं)	553	एक वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण	2	कार्यालय पद्धति का ज्ञान दिया जाता है जिसके साथ आशुलेखन तथा टंकण का कार्य भी सिखाया जाता है।
06	स्टेनोग्राफी सेकेट्रीयल असिसटेन्ट (अंग्रेजी)	564	एक वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण	2	अंग्रेजी भाषा का सांकेतिक भाषा में लिखना और उसे टाइप मशीन पर टंकण करना।
07	स्टेनोग्राफी सेकेट्रीयल असिसटेन्ट (हिन्दी)	565	एक वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण	2	हिन्दी भाषा का सांकेतिक भाषा में लिखना और उसे टाइप मशीन पर टंकण करना।

नोटः– व्यवसाय हेतु दर्शायी गयी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता डी0जी0टी0 भारत सरकार द्वारा व्यवसाय विशेष के लिए निर्धारित की गयी है

परिशिष्ट–6

कोर्स ग्रुप–ए(Course Group-A)
शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत व्यवसाय, कोड एवं उनका संक्षिप्त परिचय (केवल निजी संस्थानों हेतु)
इतर इंजीनियरिंग व्यवसाय (Non-Engineering Trades)

क्र0 सं0	व्यवसाय	व्यवसाय कोड	प्रशिक्षण अवधि	न्यूनतम अर्हकारी शैक्षिक योग्यता	शैक्षि0 यो0 कोड	संक्षिप्त परिचय
01	फैशन डिजाइन एण्ड टैक्नोलॉजी	449	एक वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण	2	इस व्यवसाय के अन्तर्गत कटाई–सिलाई, कढ़ाई तथा इनसे सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की कियाओं, ड्रेस मेकिंग आदि का ज्ञान दिया जाता है।
02	कॉस्मेटोलॉजी	409	एक वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण	2	मनुष्य के केस एवं त्वचा की देख–भाल करना एवं सुन्दरता बनाए रखने सम्बन्धी ज्ञान।
03	सेक्रेटेरिल प्रेक्टिस (अंग्रेजी)	553	एक वर्ष	10वाँ उत्तीर्ण	2	कार्यालय पद्धति का ज्ञान दिया जाता है, जिसके साथ आशुलेखन तथा टंकण का कार्य भी सिखाया जाता है।

परिशिष्ट–7

कोर्स ग्रुप बी (Course Group- B)
शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत व्यवसाय, कोड एवं उनका संक्षिप्त परिचय
इंजीनियरिंग व्यवसाय (Engineering Trades)

क्र0 सं0	व्यवसाय	व्यवसाय कोड	प्रशिक्षण अवधि	न्यूनतम अर्हकारी शैक्षिक योग्यता	शैक्षि0 यो0 कोड	संक्षिप्त परिचय
01	शीट मेटल वर्कर	555	एक वर्ष	कक्षा–8 उत्तीर्ण	1	धातु के चादर से आवश्यक वस्तुए बनाना जैसे बक्से अलमारियां विभिन्न प्रकार के कैबिनेट, मोटर बाडी आदि का कार्य
02	वायरमैन	592	दो वर्ष	कक्षा–8 उत्तीर्ण	1	घरेलू एवं औद्योगिक भवनों की वायरिंग, विद्युत लाइन खींचना उत्पन्न खराबी ठीक करना आदि का कार्य।
03	अपहोल्स्टर	043	एक वर्ष	कक्षा–8 उत्तीर्ण	1	मोटर गाड़ियों, रेल गाड़ियों एवं हवाई जहाज की सीटों का निर्माण लेटर और रेक्सीन आदि का कार्य।
04	मेसन (बिल्डिंग कान्सट्रक्टर)	499	एक वर्ष	कक्षा–8 उत्तीर्ण	1	भवन निर्माण कार्य जैसे इटों की छत की जुडाई, ढलाई आदि के कार्य का ज्ञान देना।
05	वेल्डर (फैब्रीकेशन एण्ड फिटिंग)	586	एक वर्ष	कक्षा–8 उत्तीर्ण	1	टी.आई.जी./एम.आई.जी.वेल्डिंग/स्ट्रक्चरल /फ्रेशर पार्ट्स फिटिंग/स्ट्रक्चरल वेल्डिंग /फ्रेशर बेसेल एण्ड पाइप वेल्डिंग इस्पेक्शन एण्ड टेस्टिंग आदि का ज्ञान।
06	प्लम्बर	543	एक वर्ष	कक्षा–8 उत्तीर्ण	1	नल, पानी की लाइन, टंकी, टोटी, वाल आदि की मरम्मत सेनेट्री फिटिंग का कार्य।
07	वेल्डर	584	एक वर्ष	कक्षा–8 उत्तीर्ण	1	धातु के बने हुए पुर्जे एवं अन्य सामग्री जैसे ग्रिल आदि को गैस एवं विद्युत धारा द्वारा जोड़कर बनाना।
08	कारपेन्टर	414	एक वर्ष	कक्षा–8 उत्तीर्ण	1	लकड़ी का फर्नीचर, घरेलू सामान आदि का निर्माण करना ।
09	पेन्टर	536	दो वर्ष	कक्षा–8 उत्तीर्ण	1	सम्पूर्ण पेटिंग का कार्य जैसे फर्नीचर व्हीकल पर लिखावट, रंग द्वारा सजावट का कार्य।

परिशिष्ट–8

कोर्स ग्रुप–बी (Course Group- B)
शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत व्यवसाय, कोड एवं उनका संक्षिप्त परिचय
इतर इंजीनियरिंग व्यवसाय (Non-Engineering Trades)

क्र0 सं0	व्यवसाय	व्यवसाय कोड	प्रशिक्षण अवधि	न्यूनतम अर्हकारी शैक्षिक योग्यता	शैक्षि0 यो0 कोड	संक्षिप्त परिचय
01	फुटवियर मेकर	459	एक वर्ष	कक्षा–8 उत्तीर्ण	1	विभिन्न प्रकार के जूते–चप्पल आदि के निर्माण/मरम्मत आदि का ज्ञान देना।
02	लेदर गुड्स मेकर	487	एक वर्ष	कक्षा–8 उत्तीर्ण	1	चमडें की सामग्रियां जैसे–जैकेट,पर्स अटैची, बेल्ट आदि के निर्माण/मरम्मत आदि का ज्ञान देना।
03	सुवीइंग टेक्नालॉजी	554	एक वर्ष	कक्षा–8 उत्तीर्ण	1	कपड़े की कटिंग करके सिलाई मशीनों द्वारा सिलाई करके गारमेन्ट्स तैयार करना।

नोटः–व्यवसाय हेतु दर्शायी गयी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता डी0जी0टी0 भारत सरकार द्वारा व्यवसाय विशेष के लिए निर्धारित की गयी है।

परिशिष्ट–9

कोर्स ग्रुप–बी (Course Group B)
शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत व्यवसाय, कोड एवं उनका संक्षिप्त परिचय (राजकीय संस्थानों में केवल महिलाओं हेतु)
इतर इंजीनियरिंग व्यवसाय (Non-Engineering Trades)

क्र0 सं0	व्यवसाय	व्यवसाय कोड	प्रशिक्षण अवधि	न्यूनतमआर्हकारी शैक्षिक योग्यता	शैक्षि0 यो0 कोड	संक्षिप्त परिचय
01	सुवीइंग टेक्नालॉजी	554	एक वर्ष	कक्षा–8 उत्तीर्ण	1	कपड़े की कटिंग करके सिलाई मशीनों द्वारा सिलाई करके गारमेन्ट्स तैयार करना।
02	सरफेस आर्नामेंटेसन टेक्निक्स (एम्ब्राइड्री)	568	एक वर्ष	कक्षा–8 उत्तीर्ण	1	कपड़े पर रंगीन धागों से सुन्दर–सुन्दर डिजाइनों की कढ़ाई करना।
03	ड्रेस मेकिंग	440	एक वर्ष	कक्षा–8 उत्तीर्ण	1	पहनने योग्य सुन्दरता पूर्ण, आकर्षक कपड़ों द्वारा विभिन्न प्रकार की आकर्षक ड्रेस बनाना।

परिशिष्ट–10

कोर्स ग्रुप– बी(Course Group-B)
शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत व्यवसाय, कोड एवं उनका संक्षिप्त परिचय (केवल निजी संस्थानों हेतु)
इतर इंजीनियरिंग व्यवसाय (Non-Engineering Trades)

क्र0 सं0	व्यवसाय	व्यवसाय कोड	प्रशिक्षण अवधि	न्यूनतम अर्हकारी शैक्षिक योग्यता	शैक्षि0 यो0 कोड	संक्षिप्त परिचय
01	ड्रेस मेकिंग	440	एक वर्ष	कक्षा–8 उत्तीर्ण	1	पहनने योग्य सुन्दरता पूर्ण, आकर्षक कपड़ों द्वारा विभिन्न प्रकार की आकर्षक ड्रेस बनाना।
02	सरफेस आर्नामेंटेसन टेक्निक्स (एम्ब्राइड्री)	568	एक वर्ष	कक्षा–8 उत्तीर्ण	1	कपड़े की रंगीन धागों से सुन्दर–सुन्दर डिजाइनों की कढ़ाई करना।

परिशिष्ट–11

प्रारूप–1

प्रमाण–पत्र (ओ0बी0सी0)

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. .....
सुपुत्र/सुपुत्री/श्री .....निवासी –ग्राम/मोहल्ला .....
तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उ.प्र. राज्य की .....पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (यथा संशोधित) की अनुसूची–एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. .....
पूर्वोक्त अधिनियम 1994 (यथा संशोधित) की अनुसूची–दो (जैसा कि उ.प्र. लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ.प्र. लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता–पिता की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय आठ लाख रू0 या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथाविहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कु. ..... तथा/अथवा उनका परिवार उ.प्र. के ग्राम ..... तहसील .....नगर .....
जिला ..... में सामान्यतः रहता है।

स्थान .....
दिनांक .....

हस्ताक्षर .....
पूरा नाम.....

मुहर .....

पद नाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

प्रारूप–2

प्रमाण–पत्र (एस.सी./एस.टी)

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती कु.....सुपुत्र/सुपुत्री/श्री.....
.....निवासी–ग्राम/मोहल्ला ..... तहसील ..... नगर .....
.....जिला.....उ.प्र. राज्य की .....जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश,1950(जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ है)संविधान (अनुसूचित जनजाति,उ0प्र0)आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है।
श्री/श्रीमती/कु.....तथा/अथवा उनका परिवार उ.प्र. के ग्राम/मोहल्ला.....तहसील.
.....नगर.....जिला.....में सामान्यतः रहता है।

स्थान.....
दिनांक.....
मुहर.....

हस्ताक्षर.....
पूरा नाम.....
पद नाम.....

जिलाधिकारी /अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

प्रारूप–3

उत्तर प्रदेश से बाहर अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के प्रवासी उम्मीदवार द्वारा अपने दावे के समर्थन में पेश किये जाने वाले जाति प्रमाण–पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री.....
.....निवासी गांव/शहर.....जिला/मण्डल.....राज्य/संघ शासित क्षेत्र.....
.....की.....जाति/जनजाति का/की हैं, जो संविधान के आदेश के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति घोषित की गई हैं।
यह प्रमाण–पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी.....को उसके पिता/माता श्री/श्रीमती.....
.....निवासी.....गांव/शहर.....जिला/मण्डल.....
राज्य/संघ शासित क्षेत्र..... दिये गये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र के आधार पर जारी किया है और.....जाति/जनजाति के हैं जिसे.....राज्य/ संघ शासित क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है।
(निर्धारित पदाधिकारी का नाम).....द्वारा आपके पत्र या.....दिनांक.....के अन्तर्गत जारी किया गया है।

स्थान.....
राज्य/संघशासित क्षेत्र.....
दिनांक.....
कृपया राष्ट्रपति के सम्बन्धित आदेश का उल्लेख करें।

हस्ताक्षर.....
पद.....
मुहर.....

प्रारूप–4

शासनादेश संख्याः 5/2015/18/1/2008–का–2/2015 दिनांक 21 अप्रैल, 2015 द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का प्रमाण–पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....निवासी ग्राम.....
.....तहसील.....नगर.....जिला.....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग,स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित).....
पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित)/उपरांकित अधिनियम 1993(यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी).....के आश्रित है।

स्थान.....
दिनांक.....

हस्ताक्षर.....
पूरा नाम.....
पदनाम.....
मुहर.....
जिलाधिकारी (सील)

प्रारूप–5

सैनिक आश्रित का प्रमाण–पत्र का प्रारूप

सेवारत तथा भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र–पुत्रियों तथा पैरा मिलिट्री फोर्स जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आसाम राइफल्स, इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस सम्मिलित है, के सैनिकों, जो युद्ध या संघर्ष में अक्षत हो गये हैं अथवा मारे गये हैं, के पुत्र एवं पुत्रियों द्वारा देय प्रमाण–पत्र जो कि सेवारत/भूतपूर्व सैनिक के उस यूनिट के ऑफिसर कमांडिंग के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए जिस यूनिट में वह कार्यरत हो अथवा सबसे अन्त में रहा हो अथवा पैरा मिलिट्री फोर्स का सैनिक युद्ध या संघर्ष में अक्षम हो गया हो या मारा गया हो। केवल सेवानिवृत्त सैनिक के सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट सोल्जर्स बोर्ड के सचिव द्वारा भी प्रमाण–पत्र दिया जा सकता है।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी..... (अभ्यर्थी का पूरा नाम) सेवारत/भूतपूर्व सैनिक/पैरा मिलिट्री फोर्स का संघर्ष या युद्ध में अक्षम या मारे गये सैनिक श्री..... के पुत्र/पुत्री हैं। श्री..... (सैनिक का नाम) यूनिट में ..... पद पर दिनांक ..... से .....तक कार्यरत थे/हैं। पैरा मिलिट्री ..... की यूनिट में संघर्ष या युद्ध में अक्षम रहे या मारे गये हैं।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....
तिथि.....

ओ0सी0 के हस्ताक्षर.....
पद.....
सील

प्रारूप–6

(शासनदेश संख्याः 4784/89–व्या0शिक्षा एवं कौ0वि0–2013–125(बी)/1987 टी0सी0दिनांक 26.12.2013 के प्राविधानुसार स्थानीय नवयुवकों को राजकीय आई0टी0अआई0 में प्रवेश हेतु स्थानीय आरक्षण के लिए जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र)

मूल निवास प्रमाण पत्र

श्री/श्रीमती/कुमारी.....
..पुत्र/पत्नी/पुत्री.....निवासी/निवासिनी मकान संख्या.....ग्राम/मोहल्ला..
.....पोस्ट.....विकास खण्ड.....
.....तहसील.....जनपद.....उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....विगत.....वर्षों से उक्त पते पर निवास कर रहा/रही है।

हस्ताक्षर.....
जिलाधिकारी का नाम व मुंहर
दिनांक.....

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी-II दिनांक-14.03.2019 का संलग्नक

प्रारूप–7

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम .....

आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्याः- ..... दिनांक-.....

वित्तीय वर्ष.....के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

पुत्र/पति/पुत्री.....ग्राम/कस्बा.....

पोस्ट ऑफिस.....थाना.....

तहसील.....जिला.....राज्य.....

पिन कोड..... के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के सदस्य है, क्योंकि वित्तीय वर्ष.....में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं हैः-

I. 5(पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।

II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2- श्री/श्रीमती/कुमारी.....जाति.....के सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रुप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर.....(कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम.....

पदनाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

परिशिष्ट–12

स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान (SCSP) के तहत संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

क्रम सं0	संस्थान का नाम एवं कोड	जिला		क्रम सं0	संस्थान का नाम एवं कोड	जिला
1	हाथरस (030)	हाथरस		43	माण्डा (205)	इलाहाबाद
2	आनन्दपुर जारखी (038)	फिरोजाबाद		44	मोहनलालगंज (215)	लखनऊ
3	सिम्भावली (029)	हापुड़		45	किसनी (174)	मैनपुरी
4	गजरौला (049)	अमरोहा		46	गोवर्धन (172)	मथुरा
5	नजीबाबाद (050)	बिजनौर		47	जमुनहा (228)	श्रावस्त्री
6	सिराथू (069)	कौशाम्बी		48	महराजगंज (238)	महराजगंज
7	कन्नौज (080)	कन्नौज		49	हस्तिनापुर (175)	मेरठ
8	अतरौली (095)	हरदोई		50	पुवाँया (194)	शाहजहॉपुर
9	चन्दन चौकी (096)	लखीमपुर		51	जलेसर (173)	कासगंज
10	गोदलामऊ (097)	सीतापुर		52	बिलसी (191)	बदायूँ
11	विष्णुपुर विश्राम पचपेड़वा (114)	बलरामपुर		53	नन्दगाँव (209)	मथुरा
12	लालगंज (159)	आजमगढ़		54	हापुड़ (181)	हापुड़
13	हरैया (160)	बस्ती		55	बरखेड़ा (193)	पीलीभीत
14	सैदपुर (158)	गाजीपुर		56	गंगेश्वरी (197)	अमरोहा
15	राबर्ट्सगंज (234)	सोनभद्र		57	नौरंगिया (241)	कुशीनगर
16	पिहानी (216)	हरदोई		58	जेवर (183)	गौतमबुद्व नगर
17	हसनगंज (218)	उन्नाव		59	सीयर (236)	बलिया
18	लीलापुर ब्लॉक बैतालपुर (239)	देवरिया		60	रेहवा मंसूर (महसी) (219)	बहराइच
19	मऊरानीपुर (202)	झांसी		61	लिसाढ़ (185)	शामली
20	सैदपुर ब्लॉक बीबीनगर (178)	बुलन्दशहर		62	खेकड़ा (177)	बागपत
21	अजीतमल (213)	औरैया		63	शाहाबाद (201)	रामपुर
22	फतेहपुर (227)	बाराबंकी		64	फरीदपुर (189)	बरेली
23	भदोही (230)	संत रविदास नगर		65	तरबगंज (430)	गोण्डा
24	मानिकपुर (204)	चित्रकूट		66	सिधौली (427)	सीतापुर
25	जहानाबाद (206)	फतेहपुर		67	ऊँचाहार (428)	रायबरेली
26	छानबे (233)	मिर्जापुर		68	छिबरामऊ (408)	कन्नौज
27	मौदहा कस्बा (203)	हमीरपुर		69	बिलग्राम (426)	हरदोई
28	भोगनीपुर (211)	कानपुर देहात		70	पुरवा (424)	उन्नाव

29	लखना (212)	इटावा		71	चकरनगर (413)	इटावा
30	जहाँगीरगंज (223)	अम्बेडकर नगर		72	बिधुना (414)	औरैया
31	चन्दौली (231)	चन्दौली		73	हाटा (441)	कुशीनगर
32	हरोड़ा (187)	सहारनपुर		74	करहल (403)	मैनपुरी
33	सोहावल (222)	फैजाबाद		75	मंझनपुर (416)	कौशाम्बी
34	शाहगंज (232)	जौनपुर		76	नौतनवां (437)	महाराजगंज
35	बड़हलगंज (237)	गोरखपुर		77	निचनौल (438)	महाराजगंज
36	कस्बा अनूप शहर (179)	बुलन्दशहर		78	कोंच (419)	जलौन
37	कोल (171)	अलीगढ़		79	अमृतपुर (410)	फर्रूखाबाद
38	एतमादपुर (170)	आगरा		80	बरहज (439)	देवरिया
39	बिहार (208)	प्रतापगढ़		81	तिर्वा (409)	कन्नौज
40	मुसाफिरखाना (225)	अमेठी		82	बबेरू (420)	बांदा
41	मोहम्मदाबाद गोहना (235)	मऊनाथभंजन		83	सिकन्दरा (405)	कानपुर देहात
42	हैसर बाजार (242)	संत कबीर नगर		84	अकबरपुर (406)	कानपुर देहात

उपरोक्त संस्थानों में वर्तमान लागू व्यवस्था के अनुसार स्वीकृत सीटों में 70 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षार्थियों हेतु तथा 15 प्रतिशत सीटें पिछड़ी जाति के प्रशिक्षार्थियों हेतु आरक्षित रहेंगी। जिनमें नियमानुसार प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

नोटः– इस पुस्तिका में दिये गये उदाहरण पूर्णतया काल्पनिक हैं जो कि ऑन लाइन आवेदन भरने हेतु मार्ग–दर्शन के रूप में दिये गये हैं। उनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं हैं। अभ्यर्थी अपने वास्तविक एवं अन्य विवरण को ही ऑन लाइन आवेदन में भरें।

नोटः– संलग्न परिशिष्ट निदेशालय, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0 द्वारा एन0सी0वी0टी0 पाठ्यक्रम के अन्तर्गत चलाए जा रहे व्यवसायों के अस्थायी अनुसूची के अनुसार तैयार किया गया है। यदि निदेशालय, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0 द्वारा इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन किया जाता है तो तद्नुसार चयन/प्रवेश की कार्यवाही संशोधित की जा सकती है। भारत सरकार **कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय** के राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की सम्बन्धन समिति की संस्तुति प्राप्त जिन व्यवसायों/यूनिटों में प्रवेश उपरान्त यदि NCVT द्वारा अंततः सम्बन्धन स्वीकृत नहीं हुआ तो प्रशिक्षणार्थी को अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा वरन् उसे SCVT परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण होने पर राज्य व्यावसायिक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जा सकेगा।

उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत संचालित निजी
प्रशिक्षण केन्द्र में ऑटोमोटिव सेक्टर में प्रशिक्षणरत् प्रशिक्षार्थी।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज, लखनऊ
में स्थापित रेमण्ड टेलरिंग सेन्टर।

महत्वपूर्ण सूचना

कक्षा 8 एवं कक्षा 10 उत्तीर्ण करने के उपरान्त आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र धारकों को उच्च शिक्षा का अवसर प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में जारी शासन के पत्र सं – 1442/89– व्या.शि.एवं कौ. वि.वि.–2016–8(263)/2013 टी. सी. दिनांक 11.04.2016 के क्रम में निम्नानुसार व्यवस्था प्रदान की गई है:–

बिन्दु – 1

ऐसे छात्र / छात्रायें जिन्होने माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 02 वर्षीय या उससे अधिक अवधि का औद्योगिक प्रशिक्षण पूर्ण कर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन0सी0वी0टी0) द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र (एन0टी0सी0) अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0 (एस0सी0वी0टी0) द्वारा जारी राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, उन्हें माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट कक्षा –12 की परीक्षा के हिन्दी विषय की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण करने की दशा में परिषद की इंटरमीडिएट कक्षा –12 के समकक्ष माना जायेगा ।

नोट – आई0टी0आई0 के अतिरिक्त अन्य इंटरमीडिएट कक्षा –12 उत्तीर्ण परीक्षार्थी आई0टी0आई0 के समकक्ष नही माने जायेंगे

बिन्दु – 2

ऐसे छात्र / छात्रायें जिन्होने कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 02 वर्षीय या उससे अधिक अवधि का औद्योगिक प्रशिक्षण पूर्ण कर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन0सी0वी0टी0) द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र (एन0टी0सी0) अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0 (एस0सी0वी0टी0) द्वारा जारी राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, उन्हें माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाई स्कूल (कक्षा – 10) के हिन्दी विषय की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण करने की दशा में परिषद की हाईस्कूल (कक्षा – 10) के समकक्ष माना जायेगा ।

नोट – आई0टी0आई0 के अतिरिक्त अन्य हाईस्कूल (कक्षा – 10) उत्तीर्ण परीक्षार्थी आई0टी0आई0 के समकक्ष नही माने जायेंगे

आई0टी0आई0 से उत्तीर्ण प्रमाण–पत्र धारक यदि उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक में प्रवेश हेतु अर्ह पाए जाते हैं तो उन्हें सम्बन्धित डिप्लोमा के पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश के सम्बन्ध में निम्नानुसार व्यवस्था प्रदान की गई है:–

शासनादेश संख्या:– 9/ 2018/ 2182 / सोलह – 3–2017 – 46 (08)/ 2002 दिनांक 16 जनवरी 2018 में दी गई व्यवस्था के अनुसार आई0टी0आई0 से उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारक यदि उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक में प्रवेश हेतु अर्ह पाए जाते हैं तो उन्हें सम्बन्धित डिप्लोमा के पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश मिलेगा।

एस0सी0वी0टी पोर्टल डिजिलॉकर से इंटीग्रेटेड है जिसके माध्यम से एस0सी0वी0टी0 पाठ्यक्रम के प्रशिक्षार्थी अपना अंकपत्र व प्रमाणपत्र अपने डिजिलॉकर में सुरक्षित रख सकते हैं।